# नगर परिषद श्री नयना देवी जी, तहसील स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 4/08 से 3/12

## भाग—एक

**1 प्रारम्भिक**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376/81—फिन(एल0ए0)खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों/पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद नैना देवी जी के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

**(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि में निम्न मनोनित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहेः—**

**मनोनित प्रधान एवं उनका कार्यकाल अवधिः—**

| वर्ष | प्रधान का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 2008 से | श्रीमती शैला देवी | 4/08 से 26.1.2011 |
| 2012 | श्री मुनीष कुमार | 27.1.11 से लगातार |

**नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी एवं उनका सेवाकाल अवधि**

| वर्ष | कार्यकारी अधिकारी का नाम | अवधि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 2008 | श्री के0आर0 ठाकुर | 14.2.08 से 19.6.2011 | अतिरिक्त कार्यभार |
| 2011 | श्री पी0सी0 शर्मा (अतिरिक्त) | 5.7.11 से 19.12.2011 | कार्यकारी अधिकारी |
| 2011 | श्री के0आर0 ठाकुर | 19.12.11 से 13.2.2012 | बिलासपुर के पास |
| 2012 | श्री एम0डी0 शर्मा | 13.2.12 से लगातार | |

**(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

| क्रम संख्या | अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण | पैरा संख्या | राशि लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | दुकानों के किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष | 9 (क) | 21.13 |
| 2 | गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना | 12 | 6.88 |
| 3 | वहनने के कारण परिषद को वित्तीय हानि | 17 | 1.53 |
| 4 | दुकानदारों से नियमानुसार प्रतिभूति की राशि वसूल न करना | 18 | 1.36 |
| 5 | मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी से दुकान नं0 1 को किराया न वसूलने बारे | 19 | 21.64 |
| 6 | सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनियमित व्यय | 30 | 6.18 |

**(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे ंलम्बित/बकाया पड़े पैरों में से कुछ अनुच्छेदों के सटिप्पण उत्तर जो तैयार किए गए थे वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा एवं अभिलेखों की पड़ताल उपरान्त पैरों को प्राथमिकता के आधार पर निपटरा किया गया शेष अनिर्णीत पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्वित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सकें। पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गई है।

## भाग–दो

## 2 वर्तमान लेखा परीक्षाः–

नगर परिषद श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2008 से 3/2012 तक का वर्तमान लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों/अनुच्छेदों में समाविष्ट किए गए है यशवीर कुमार अनुभाग अधिकारी ले0प0 व श्री पुनीश शर्मा आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 2.1.2013 से 2.3.2013 तक नगर परिषद में किया गया। विस्तृत जांच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गयाः–

| अवधि | चयनित मास |
|---|---|
| 2008 | 4/08, 3/09 |
| 2009 | 3/10, 3/10 |
| 2010 | 3/11, 11/10 |
| 2011 | 2/12, 1/02 |

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लेखों का परीक्षण नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए रिकार्ड/अभिलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया व अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण तदानुसार ही किया गया किसी प्रकार की अधूरी सूचना या छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय निधि विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखों का परीक्षण एवं निरीक्षण चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

## 3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद श्री नैना देवी जी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 4/2008 से 3/12 तक का लेखा परीक्षण शुल्क ₹41500.00 बनता है। अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 28 फिन (एल0ए0) वृत बिलासपुर दिनांक 28.2.2013 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद श्री नयना देवी जी कि उक्त अंकेक्षण शुल्क राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय निधि लेखा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को आगामी सरकारी में जमा करवाने हेतु भेजने को अनुग्रह किया गया है।

## 4 (क) वित्तीय स्थिति

नगर परिषद श्री नयना देवी के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लेखा अवधि 4/2008 से 3/2012 तक की वित्तीय स्थिति इस प्रकार से हैः–

### (1) वित्तीय वर्ष 4/2008 से 3/2009 तक

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 7639900 |
| 2 | आय एवं अनुदान राशि व ब्याज | 19797954 |
| 3 | कुल योग | 27437854 |
| 4 | व्यय | 7187009 |
| | शेष | 20250845 |

### (2) वित्तीय वर्ष 4/2009 से 3/2010

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 20250845 |
| 2 | आय एवं अनुदान राशि व ब्याज | 9904600 |
| 3 | कुल योग | 30155445 |
| 4 | व्यय | 9782671 |
| | शेष | 20372774 |

### (3) वित्तीय वर्ष 4/2010 से 3/2011

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 20372774 |
| 2 | आय एवं अनुदान राशि व ब्याज | 6705796 |
| 3 | कुल योग | 27078570 |
| 4 | व्यय | 14478044 |
| | शेष | 12600496 |

### (4) वित्तीय वर्ष 4/2011 से 3/2012

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 12600496 |
| 2 | आय एवं अनुदान राशि व ब्याज | 16073800 |
| 3 | कुल योग | 28674296 |
| 4 | व्यय | 14851933 |
| | शेष | 13822363 |

दिनांक 31.3.2012 तक ₹13822363/– रोकड़ वही के पृष्ठ 79 पर दर्शाए गए। जबकि उक्त राशि में सावधि में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज राशि ₹103250/–को दर्ज न करके सावधि राशि कम दर्शाई गई है विवरण निम्न से हैः–

| **क्र0सं0** | **बैंक का नाम** | **खाता सं0** | **राशि** |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्री नयना देवी जी | 11530535395 | 3606833.96 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक श्री नयना देवी जी | 255 | 6138536.26 |
| 3 | सावधि जमा में निवेशित राशि (रोकड़ वही अनुसार) | – | 3741136.00 |
| 4 | प्रतिभूति राशि (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) | 11530527666 | 154172.22 |
| 5 | एन0एस0डी0पी0/ई0आई0यू0एस0को0बैंक | 2174 | 106613.00 |
| 6 | एस0जे0एस0आर0आई0को0 बैंक | 2313 | 40371.00 |
| 7 | मैन्टेस आफ ULB Roads को0 बैंक | 2353 | 7067.00 |
| 8 | तृतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 11530550437 | 34240.02 |
| | | कुल योग | 13828969.46 |
| 9 | (–) चैक इश्युड परन्तु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए | | 6606.00 |
| | अतः रोकड़ वही में दर्शाए अन्तशेष | | 13822363.46 |
| | | | 13822363 |

**चैकों का विवरणः–**

| **क्र0सं0** | **चैक सं0** | **दिनांक** | **राशि** |
|---|---|---|---|
| 1 | 501434 | कोई दिनांक नहीं दर्शाई गई | 960 |
| 2 | 388829 | कोई दिनांक नहीं दर्शाई गई | 360 |
| 3 | 5256310 | कोई दिनांक नहीं दर्शाई गई | 2060 |
| 4 | 200508 | कोई दिनांक नहीं दर्शाई गई | 400 |
| 5 | 392282 | 24.9.08 | 1000 |
| 6 | 5034414 | 22.9.08 | 1826 |
| | | | 6606 |

## 5 रोकड़ वही के रख–रखाव तथा बेंक खातां के रख रखाव/मिलान से सम्बन्धित अनियतताऐंः–

नगर परिषद के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ वही के रख रखाव तथा बैंक खातों के रख–रखाव/मिलान से सम्बन्धित प्रमुखतः निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

**(क) रोकड़ वही का निर्माण/रख रखावः–**

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि रोकड़ वही का रख रखाव वित्तीय नियमों के अनुसार नहीं किया गया जिसके कारण वित्तीय स्थिति को तैयार एवं मिलान करने पर काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। नगर परिषद की रोकड़ वही का लेखांकन नियमित कर्मचारी जैसे सहायक लिपिक (Junior Asstt.) व लिपिक से न करवा कर एक अनुबन्ध कर्मचारी द्वारा रोकड़ वही का निर्माण किया जा रहा है। कार्यकारी अधिकारी के परामर्श किया जाता है कि वह रोकड़ वही के निर्माण एवं रख–रखाव के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए निर्देशों को शीध्र प्रभावी कर रोकड़ वही का रख रखाव नगर परिषद के निममित कर्मचारी से करवाना सुनिश्चित करें रोकड़ वही का रख रखाव उचित प्रकार से किया जाए समय–समय पर बैंक के साथ मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए।

**(ख) बैंक खातेः–**

अंकेक्षण में अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री नयना देवी जी में म्युनिसिपल फण्डों के लिए दो अलग–2 बैंक खाते खोलने के कारण लेखों का मिलान करते समय कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। बैंक खातों की संख्या 8 के करीब है। लेखों को सही रख रखाव के लिए बैंक खातों की संख्या को कम करना अति आवश्यक है ताकि बैंक (समाधान) मिलान रोकड़ वही का मिलान सामान्य बना रहे। अतः परिषद को सुझाव दिया जाता है कि खाता संख्या 2174, 2313, 2353 व 11530550437 को शीध्र बन्द कर दिया जाए व इस खातों में जमा राशियों को हिमाचल प्रदेश राज्य राज्य को0 बैंक के खाता सं0 255 में अन्तिरित कर दिया जाए ताकि बैंक खाता के मिलान करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

**(ग) चैक इश्यू रजिस्टरः—**

अंकेक्षण अवधि तक चैक इश्यू रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया केवल बैंकों के द्वारा जारी चैक बुक के अन्तिम पृ0 पर चैक सं0 व राशियां का उल्लेख दर्ज किया जाता रहा। चैक इश्यू रजिस्टर का निर्माण शीध्र किया जाए ताकि जारी किए गए चैकों के लेखों को समय—समय पर वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके।

**6 निवेशः—**

**(क)** रोकड़ वही के पृ0 79 दिनांक 31.3.12 को सावधि में निवेशित की गई राशियों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार दर्शाया गया परिशिष्ट (ख) में दिया गया है।

| **क्र0सं0** | **बैंक का नाम** | **खाता सं0** | **निवेशित राशि** | **निवेशित दिनांक** | **परिपक्वता दिनांक** | **टिप्पणी** | **ब्याज का लेखांकन** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय स्टेट बैंक | 841972 | 374797 | 18.10.10 | 18.10.13 | खाता सं0 255 में दिनांक 30.4.01 आन्तरित बारे | |
| 2 | भारतीय स्टेट बैंक | 841815 | 35031 | 14.10.10 | 14.10.12 | — | रोकड़ वही में न करने पर |
| 3 | भारतीय स्टेट बैंक | 841816 | 35031 | 14.10.10 | 14.10.12 | — | |
| 4 | भारतीय स्टेट बैंक | 841817 | 35031 | 14.10.10 | 14.10.12 | — | |
| 5 | भारतीय स्टेट बैंक | 841818 | 35031 | 14.10.10 | 14.10.12 | — | |
| 6 | भारतीय स्टेट बैंक | 841970 | 1003617 | 18.10.10 | 18.10.13 | — | |
| 7 | भारतीय स्टेट बैंक | 841971 | 265780 | 18.10.11 | 18.10.12 | — | राशि 17818 |
| | | **(A)योग** | **1409521** | | | | |
| 1 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 482244 | 302985 | 15.4.11 | 15.4.12 | — | |
| 2 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 482245 | 302985 | 15.4.11 | 15.4.12 | — | |
| 3 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 625996 | 167207 | 9.2.12 | 9.7.13 | — | राशि 14239 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 625997 | 167207 | 9.2.12 | 9.7.13 | — | राशि 14239 |
| 5 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 625998 | 334412 | 9.2.12 | 9.7.13 | — | 28477 |
| 6 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 625999 | 334412 | 9.2.12 | 9.7.13 | — | 28477 |
| 7 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 482477 | 275219 | 13.'7.11 | 13.7.12 | — | — |
| 8 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 482477 | 275219 | 13.'7.11 | 13.7.12 | — | — |
| 9 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 482479 | 275219 | 13.'7.11 | 13.7.12 | — | 103250 |
| | | (B) | **2434865** | | | | |

**टिप्पणीः—** रोकड़ वही के अवलोकन पर पाया गया कि निवेशित की गई राशियो ंका योग (A+B) ₹3844386.00 बनता था, परन्तु लेखांकन करते समय निम्न राशियों (FDR"s) की परिपक्वता पर पूर्ण निवेशित राशियां दर्ज न कर पुरानी राशियों की प्रविष्टियां दर्ज की गई जिसके कारण रोकड़ वही की वित्तीय स्थिति सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती। रोकड़ वही का रख रखाव नियमानुसार किया जाए ताकि रोकड़ वही व बैंक का मिलान सही ढ़ंग से किया जा सके। रोकड़ वही में दर्ज न कि गई आय की स्थिति निम्न हैः—

**(ख) चैक इश्यू रजिस्टरः—**

अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/12 तक निवेश रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया जिसे वर्तमान अंकेक्षण पर तैयार करवाया गया ताकि निवेशित राशि की परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज व परिपक्वता राशि का लेखांकन सम्बन्धित लेखा वर्ष व रोकड़ वही में किया जा सके। भविष्य में भी निवेश रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0सं0 | रोकड़ वही में दर्ज सावधि प्रविष्टि राशि | खाता सं0 | परिपक्वता राशि जो पूर्ण निवेश पर दर्ज की जानी थी | रोकड़ वही में कम उठाया गया ब्याज |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152968 | 482107 | 167207 | 14239 |
| 2 | 152968 | 482108 | 167207 | 14239 |
| 3 | 305935 | 482109 | 334412 | 28477 |
| 4 | 305935 | 482110 | 334412 | 28477 |
| 5 | 247962 | 841971 | 265780 | 17818 |
| | | | **कुल योग** | **103250** |

परामर्श दिया जाता कि वर्ष 2012—2013 की वित्तीय स्थिति तैयार करते समय अर्जित ब्याज व निवेशित राशिों का लेखांकन व वर्ष 2011—2012 की शेष ब्याज राशि का मिलना कर लेखों का समाधान अनिवार्य करना सुनिश्चित किया जाये।

## 7 अनुदानः—

अंकेक्षण अवधि में अनुदान राशि प्राप्ति/व्यय का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित पाया गया प्राप्त अनुदान राशियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट (ग) में दिया गया है।

| वर्ष | प्रा0शेष | वर्ष के द्वारा प्राप्त अनुदान राशि | योग | व्यय | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008—09 | 888603 | 12005065 | 12893668 | 12893668 | शून्य |
| 2009—10 | शून्य | 2395440 | 2395440 | 2395440 | शून्य |
| 2010—11 | शून्य | 2372500 | 2372500 | 2372500 | शून्य |
| 2011—12 | शून्य | 12050836 | 12050836 | 5169959 | 6880877 |

**(1) टिप्पणीः–**

अंकेक्षण अवधि 31.03.08 को निम्न योजनाओं से व्यय न की गई शेष राशि का विवरण निम्न हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कलेमटी रिलिफ 2007–08 | 120000 |
| 2 | मेन्टेन्स यू0एल0बी0 रोड | 135587 |
| 3 | 2nd वित्त कमीशन | 633016 |
| | **राशि** | **888603** |

**(2)** अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/12 तक निम्न अनुदान राशि व्यय नहीं की गई जिन का योग ₹216880877 हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | रेन डेमज 2011–12 | 292216 |
| 2 | 3rd वित्तीय 2011–12 | 337661 |
| 3 | 13th योजना 2011–12 | 6091000 |
| 4 | SJSRY 2011–12 | 160000 |
| | **राशि** | **6880877** |

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा प्रतिभूति राशि ₹1263452.00 को अन्तरित (दिनांक 30.4.08) (930–137) को म्युनिसिपल फण्ड खाता सं0 255 में किया गया था जिसे वर्ष 2008–09 में गणना में ले कर अंकेक्षण पर अलग से दर्शाया गया है।

**8 (क) ₹1375159.00 गृहकर की बकाया राशि वसूली योग्य शेषः–**

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम 1994 की उप धारा 65 (2) के अन्तर्गत गृह मालिकों जमीन मालिकों से गृह कर वसूली जोकि 7.5**%** से कम न हो व 12.5**%** से अधिक नहीं जैसा कि राज्य सरकार की अधिसूचना व द्वितीय वित्त आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या–यू0डी0–11 (सी)(10)–7–98–11 दिनांक 17.12.2003 को जारी निदेशानुसार प्रत्येक वर्ष 1**%** गृह कर बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी ताकि गृहकर को निर्धारित 12.5**%** के लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ताकि अनुदान राशि का गत प्रतिशत लाभ नगर परिषद एवं नगर पंचायत प्राप्त कर सके विवरण निम्न से हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2002—03 | 7.5% |
| 2 | 2003—04 | 8.5% |
| 3 | 2004—05 | 9.5% |
| 4 | 2005—06 | 10.5% |
| 5 | 2006—07 | 11.5% |
| 6 | 2007—08 | 12.5% |

नगर परिषद श्री नयना देवी जी के अवधि 4/08 से 3/12 तक के गृह कर अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि ₹1375159/— गृहकर की बकाया राशि दिनांक 31.3.2012 तक वसूली हेतु शेष पड़ी थी जिस का विस्तृत विवरण परिशिष्ट (घ) में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1996 की उप धारा 66(2) के अनुसार गृह मालिकों को समय रहते नोटिस जारी करना अनिवार्य था अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त धारा की कड़ाई से अनुपालना न कर उल्लघंन किया गया व जिस के कारण वर्ष 2010—11 व वर्ष 2011—12 में आय की कमी पाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है बकाया गृह कर वसूली हेतु ऐसी सभी गृह मालिकों को नियमानुसार नोटिस जारी कर शेष वसूली राशि की भरपाई की जाऐ ताकि नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित न हों।

**अंकेक्षण अवधि तक गृह कर बकाया एवं प्राप्ति विवरण निम्न से रहाः—**

| **वर्ष** | **प्रा0शेष** | **डिमाण्ड (12.5%)** | **योग** | **प्राप्ति** | **बकाया/शेष** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008—09 | 918542 | 263100 | 1181642 | 372371 | 809271 | 31 |
| 2009—10 | 809271 | 467440 | 1276711 | 412224 | 864487 | 32.25 |
| 2010—11 | 864487 | 467440 | 1331927 | 325915 | 1006012 | 24.46 |
| 2011—12 | 10060122 | 467440 | 1423452 | 98293 | 1875159 | 67 |

**(ख) गृहकर की बकाया राशि पर अधिभार न लगाने के कारण ₹142136/—की वित्तीय हानिः—**

गृहकर अभिलेखों की जांच करने पर अंकेक्षण में पाया गया की गृहकर दाताओं से निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करने पर नियमानुसार 20**%** अधिभार की राशि वसूली जानी अपेक्षित थी लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर कर न चुकाने पर नियमानुसार अधिभार नहीं लगाया गया जिस कारण परिषद को ₹142136/— की हानि उठानी पड़ी विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है। अधिभार न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा समय पर गृह कर न चुकाने वाले गृह कर दाताओं से वसूली योग्य राशि की अपने स्त्तर पर पुनः गणना करके नियमानुसार अधिभार निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

| **क्र0सं0** | **वार्ड नं0** | **गृहकर दाता का नाम** | **वर्ष 2008—09 में गृहकर भाग** | **अधिभार राशि 20% की दर से** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | दीवान चन्द सुपुत्र प्रकाश राम | 3069 | 614 |
| 2 | 2 | प्रबन्धक रोपवे प्रा0लि0 | 11180 | 2236 |
| 3 | 4 | सुनील पुत्र मदन गोपाल | 288 | 58 |
| 4 | 4 | धनीराम पुत्र सुलतानीराम | 645 | 129 |
| 5 | 4 | चुहड़ सिंह पुत्र जगत राम | 221 | 44 |
| 6 | 4 | सावित्री देवी पत्नी देवी राम | 200 | 41 |
| 7 | 4 | मस्तराम पुत्र लभू राम | 196 | 39 |
| 8 | 4 | भगत सिह पुत्र सीता राम | 474 | 95 |
| 9 | 6 | कृष्ण पुत्र अमर नाथ | 387 | 77 |
| 10 | 1 | सुनन्दा देवी पत्नी विनोद | 523 | 105 |
| 11 | 2 | अजय कुमार पुत्र भगतराम | 864 | 173 |
| 12 | 7 | अनूप कुमार पुत्र भण्डारी राम | 1195 | 239 |
| 13 | 1 | अराधना पत्नी मधू सूदन | 4989 | 998 |
| 14 | 1 | आशा राम पुत्र गान्धी राम | 5898 | 1180 |
| 15 | 7 | आत्मा देवी पत्नी गांधी राम | 2681 | 536 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | चूड़ामणि पुत्र राधेश्याम | 1936 | 387 |
| 17 | 1 | मुनीष कुमार पुत्र दौलत राम | 3094 | 619 |
| 18 | 2 | दिनेश कुमार पुत्र उमादत्त | 5199 | 1040 |
| 19 | 1 | राजीव कुमार पुत्र भवानी प्रसाद | 6008 | 1201 |
| 20 | 1 | रजनी देवी पत्नी भगवती प्रसाद | 328 | 66 |
| 21 | 4 | सुनील दत्त पुत्र माया दत्त | 5784 | 1197 |
| 22 | 7 | स्वर्णलता पत्नी भण्डारी राम | 1195 | 239 |
| 23 | 7 | बिमला देवी पत्नी शिवकुमार | 517 | 103 |
| 24 | 2 | उमेश पुत्र तारा नन्द | 4032 | 806 |
| 25 | 3 | विपन पुत्र रोशन लाल | 5490 | 1098 |
| 26 | 1 | विशाला देवी पुत्री माया दत्त | 1437 | 287 |

**वर्ष 2009–2010**

| क्र0सं0 | वार्ड नं0 | गृहकरदाता का नाम | गृहकर मांग वर्ष 2009–10 जिस पर अधिभार लगाया जाना था राशि (₹) | अधिभार राशि (Surchage) जो परिषद ने नहीं लगाया राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | आन्ती देवी पत्नी सोहन लाल | 985 | 197 |
| 2 | 1 | अक्षर कुमार सुपुत्र गंगा राम | 2585 | 517 |
| 3 | 2 | अजय कुमार सुपुत्र भगत राम | 1327 | 265 |
| 4 | 4 | अमरी देवी पत्नी सीता राम | 563 | 113 |
| 5 | 7 | आत्मा देवी पत्नी कांशी राम | 5191 | 1038 |
| 6 | 1 | अमरा देवी पत्नी बद्ररी प्रसाद | 348 | 70 |
| 7 | 1 | बनारसी दास सुपुत्र सोहन लाल | 985 | 197 |
| 8 | 3 | चमन लाल सुपुत्र निधू राम | 563 | 113 |
| 9 | 4 | चूहड़ सिंह सुपुत्र जगत राम | 450 | 90 |
| 10 | 1 | धर्मपाल सुपुत्र सोहन लाल | 985 | 97 |
| 11 | 1 | दिनेश कुमार सुपुत्र उमा दत्त | 1237 | 247 |
| 12 | 3 | दिनेश कुमार सुपुत्र जिया लाल | 1776 | 355 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | दिवान चंद सुपुत्र परस राम | 4455 | 891 |
| 14 | 4 | देवराज सुपुत्र किरपा राम | 1125 | 225 |
| 15 | 4 | धन बहादुर सुपुत्र कांशी राम | 338 | 68 |
| 16 | 1 | गोमती देवी पत्नी जगदम्बा प्रसाद | 1094 | 219 |
| 17 | 1 | गौरव कुमार सुपुत्र चूडामणि | 383 | 77 |
| 18 | 1 | गायत्री देवी पत्नी योग्श्वरी प्रसाद | 4641 | 928 |
| 19 | 4 | रंजना कुमारी पतनी करतार सिंह | 563 | 113 |
| 20 | 4 | कांता देवी पत्नी बलजीत सिंह | 1125 | 225 |
| 21 | 1 | मोहन लाल सुपुत्र रटलू राम | 675 | 135 |
| 22 | 1 | मुनीष कुमार सुपुत्र उमा दत्त | 1012 | 202 |
| 23 | 1 | महेश कुमार सुपुत्र गंगा दत्त | 2084 | 417 |
| 24 | 4 | मस्त राम सुपुत्र लभू राम | 2252 | 450 |
| 25 | 4 | मदन लाल सुपुत्र लभू राम | 1689 | 338 |
| 26 | 6 | प्रभात कुमार सुपुत्र रोशल लाल | 450 | 90 |
| 27 | 4 | रोशन लाल सुपुत्र जगन्नाथ | 563 | 113 |
| 28 | 1 | शिव कुमार सुपुत्र सोहन लाल | 985 | 197 |
| 29 | 1 | संदीप कुमार सुपुत्र दिनेश कुमार | 400 | 80 |
| 30 | 1 | सुनंदा देवी सुपुत्र उमा दत्त | 312 | 62 |
| 31 | 2 | संजय कुमार सुपुत्र भगत राम | 1327 | 265 |
| 32 | 4 | सवित्री देवी पत्नी देवी राम | 563 | 113 |
| 33 | 4 | श्याम लाल सुपुत्र देवी राम | 1126 | 225 |
| 34 | 4 | सुरेन्द्र ग्रोवर सुपुत्र वी0एस0 ग्रोवर | 18000 | 3600 |
| 35 | 7 | स्वर्ण लता पत्नी भण्डारी राम | 302 | 60 |
| 36 | 7 | शशी पाल सुपुत्र लक्ष्मण दास | 563 | 113 |
| 37 | 1 | तारा माधव सुपुत्र शिव दत | 1894 | 379 |
| 38 | 4 | तरसेम चन्द सुपुत्र जगन्नाथ | 563 | 113 |
| 39 | 2 | उमेश कुमार सुपुत्र तारा चन्द | 2938 | 588 |
| 40 | 5 | विकास कुमार सुपुत्र तारा माधव | 711 | 142 |
| 41 | | मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी | 246718 | 49344 |

<u>वर्ष 2010–2011</u>

| क्र0सं0 | वार्ड नं0 | गृहकरदाता का नाम | गृहकर मांग (Demand) वर्ष 2009–10 जिस पर अधिभार लगाया जाना था राशि (₹) | अधिभार राशि (Surchage) जो परिषद ले नहीं लगाया राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | आन्ती देवी पत्नी सोहन लाल | 985 | 197 |
| 2 | 1 | अक्षर कुमार सुपुत्र गंगा राम | 2585 | 517 |
| 3 | 1 | अराधना पत्नी मधु सूदन | 4827 | 965 |
| 4 | 1 | आशा देवी पत्नी संजीव कुमार | 667 | 133 |
| 5 | 1 | अम्बिका प्रसाद सुपुत्र हरी राम | 788 | 158 |
| 6 | 2 | अमित कुमार सुपुत्र यशपाल | 609 | 122 |
| 7 | 2 | आशुतोष शर्मा सुपुत्र जीवा नंद | 4655 | 931 |
| 8 | 2 | अजय कुमार सुपुत्र भगत राम | 1327 | 265 |
| 9 | 4 | अमरी देवी पत्नी सीता राम | 563 | 113 |
| 10 | 7 | आत्मा देवी पत्नी कांशी राम | 5191 | 1038 |
| 11 | 1 | अमरा देवी पत्नी बद्ररी प्रसाद | 348 | 70 |
| 12 | 1 | बनारसी दास सुपुत्र सोहन लाल | 985 | 197 |
| 13 | 1 | बिमला देवी पत्नी माता प्रसाद | 788 | 158 |
| 14 | 2 | बन्धुशेखर सुपुत्र भगत राम | 1327 | 265 |
| 15 | 4 | भाग सिंह सुपुत्र सुख राम | 1688 | 338 |
| 16 | 7 | बिमला देवी पत्नी शिव कुमार | 1391 | 278 |
| 17 | 1 | चम्बा देवी पत्नी सुन्दर लाल | 1227 | 245 |
| 18 | 3 | चमन लाल सुपुत्र निधू राम | 563 | 113 |
| 19 | 4 | चूहड़ सिंह सुपुत्र जगत राम | 450 | 90 |
| 20 | 1 | धर्मपाल सुपुत्र सोहन लाल | 985 | 197 |
| 21 | 1 | दिनेश कुमार सुपुत्र उमा दत्त | 1237 | 247 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | दिनेश कुमार सुपुत्र जिया लाल | 1776 | 355 |
| 23 | 3 | दिवान चंद सुपुत्र परस राम | 4455 | 891 |
| 24 | 4 | देव राज सुपुत्र किरपा राम | 1125 | 225 |
| 25 | 4 | फ़ुॅला देवी पत्नी सुख राम | 619 | 124 |
| 26 | 1 | गोमती देवी पत्नी जगदम्बा प्रसाद | 1094 | 219 |
| 27 | 1 | गायत्री देवी पत्नी योगश्वरी प्रसाद | 4641 | 928 |
| 28 | 4 | गोपाल चंद सुपुत्र सुन्दर राम | 563 | 113 |
| 29 | 4 | जोगेन्द्र राम सुपुत्र जगदीश राम | 1125 | 225 |
| 30 | 4 | रंजना कुमारी पत्नी करतार सिंह | 563 | 113 |
| 31 | 4 | कांता देवी पत्नी बलजीत सिंह | 1125 | 225 |
| 32 | 1 | मोहन लाल सुपुत्र रटलू राम | 675 | 135 |
| 33 | 1 | महेश कुमार सुपुत्र गंगा दत्त | 2084 | 417 |
| 34 | 4 | मस्त राम सुपुत्र लभू राम | 2252 | 450 |
| 35 | 4 | मदन लाल सुपुत्र लभू राम | 1689 | 338 |
| 36 | 1 | नीलम प्रसाद सुपुत्र देवी प्रसाद | 450 | 90 |
| 37 | 1 | प्रोमिला देवी पत्नी वीरेन्द्र कुमार | 1986 | 397 |
| 38 | 6 | प्रभात कुमार सुपुत्र रोशन लाल | 450 | 90 |
| 39 | 1 | रंजनी देवी पत्नी भगवती प्रसाद | 669 | 134 |
| 40 | 4 | रोशन लाल सुपुत्र जगन्नाथ | 563 | 113 |
| 41 | 6 | राकेश कुमार सुपुत्र जगदीश कुमार | 563 | 113 |
| 42 | 1 | शिव कुमार सुपुत्र सोहन लाल | 985 | 197 |
| 43 | 1 | सीता देवी पत्नी ओम प्रकाश | 519 | 104 |
| 44 | 1 | शुक्ला देवी पत्नी गंगा राम | 1062 | 212 |
| 45 | 1 | सुतेन्द्रा कुमारी पत्नी उमा दत्त | 1586 | 317 |
| 46 | 1 | संदीप कुमार सुपुत्र दिनेश कुमार | 400 | 80 |
| 47 | 1 | सुनंदा देवी पुत्री उमा दत्त | 312 | 62 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | शक्ति प्रसाद सुपुत्र हरी राम | 788 | 158 |
| 49 | 3 | श्याम किशोर सुपुत्र निक्का राम | 2250 | 450 |
| 50 | 4 | सावित्री देवी पत्नी देवी राम | 563 | 113 |
| 51 | 4 | श्याम लाल सुपुत्र देवी राम | 1126 | 225 |
| 52 | 7 | स्वर्णलता पत्नी भण्डारी राम | 302 | 60 |
| 53 | 7 | शशी पाल सुपुत्र लक्ष्मण दास | 563 | 113 |
| 54 | 1 | तारा माधव सुपुत्र शिव दत्त | 1894 | 379 |
| 55 | 1 | तृप्ता देवी पत्नी राजीव कुमार | 667 | 133 |
| 56 | 4 | तरसेम चंद सुपुत्र जगन्नाथ | 563 | 113 |
| 57 | 2 | उमेश कुमार सुपुत्र तारा चंद | 2938 | 588 |
| 58 | 5 | विकास कुमार सुपुत्र तारा माधव | 711 | 142 |
| 59 | 1 | यशपाल सुपुत्र लेख राज | 1380 | 276 |
| 60 | | मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी | 246718 | 49344 |
| | | | **योग** | **142136** |

## 9 (क) ₹211348/–दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेषः–

दुकानों के मांग एवं संग्रह रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि ₹2113485.00 दुकानदारों से दुकान के किराए की राशि वसूली के लिए शेष हैं विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है। परिषद के कार्यक्षेत्र में 60 दुकाने निर्मित है जिन में से केवल 2 दुकान ही खाली पड़ी है व तकरीबन 9 दुकानों के किराये से सम्बन्धित मामले माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े है जिस के कारण वर्ष दर वर्ष ऐसे दुकानदारों से वसूली न होने के कारण दुकान किराया की मांग न उठा कर राशियों में बढ़ौत्तरी पाई गई। कार्यकारी अधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि सभी दुकान मालिकों के मामलों को Recovery तहसीलदार के माध्यम से नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 258 (1)–258 (3) का अनुसरण करते हुए शीध्र कार्यवाही कर बकाया राशि को वसूली के लिए उचित प्रक्रिया को अमल में लाए ताकि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिल सके व नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित न हो।

दिनांक 31.3.2012 तक दुकानों का बकाया विवरण वर्षवार निम्न हैः–

| अवधि | प्रा0शेष | डिमाण्ड | योग | वसूली जो की गई | शेष वसूली |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | 527528 | 1542634 | 2070162 | 2030442 | 39720 |
| 2009–10 | 39720 | 4045267 | 4084987 | 3147837 | 937150 |
| 2010–11 | 937150 | 1242900 | 2180050 | 618931 | 1561119 |
| 2011–12 | 1561119 | 3000000 | 4561119 | 2447634 | 2113485 |

**(ख) दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण न करने बारेः–**

परिषद द्वारा किराये पर दी गई विभिन्न दुकानों के इकरारनामों की जांच उपरान्त यह पाया गया कि परिषद द्वारा विभिन्न दुकाने गत कई वर्षो से किराये पर दी गई थी जिनका पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है। इन दुकानों से सम्बन्धित इकरारनामें का नवीनीकरण नहीं किया गया जिस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः नियमानुसार इन इकरारनामों का नवीनीकरण यथाशीध्र करना सुनिश्चित करें व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

नगर परिषद श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

| क्र0सं0 | दुकान न0 | नाम दुकानदार | किराया प्रतिमाह वर्ष 2011–12 | पुराने इकरारनामें की तिथि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | कृष्ण स्वरूप सुपुत्र शिवलाल | 23604 | 25.3.2008 | (1) इकरारनामें में समय अवधि 25 वर्षों तक का उल्लेख नहीं है। |
| 2 | 3 | सतपाल सुपुत्र रूलदू राम | 3208 | 25.3.2008 | (2) पुराने इकरारनामें में किराया वृद्धि का विवरण नहीं है। |
| 3 | 4 | रणवीर सिंह सुपुत्र शमशेर सिंह | 750 | 1.4.2010 | –यथोपरि– |
| 4 | 5 | गुरूवचन सुपुत्र संत राम | 1038 | 25.3.2008 | –यथोपरि– |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | देव राज सुपुत्र जगत राम | 1992 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 6 | 7 | नीरज कुमार सुपुत्र राम कृष्ण | 708 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 7 | 8 | योगेश कुमार सुपुत्र वचन राम | 954 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 8 | 9 | नरेन्द्र सुपुत्र विधि सिंह | 2219 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 9 | 10 | रतन लाल सुपुत्र संत राम | 1473 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 10 | 11 | हरी सिंह सुपुत्र सुन्दर राम | 1898 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 11 | 12 | रतन लाल सुपुत्र संत राम | 2087 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 12 | 13 | अलिकेन्द्र भूषण सुपुत्र शशी भूषण | 576 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 13 | 14 | सरोज कुमारी पत्नी वीरेन्द्र कुमार | 859 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 14 | 15 | गगन दीप सुपुत्र बलजीत सिंह | 1275 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 15 | 17 | रमेश कुमार सुपुत्र दुर्गादास | 494 | 10.1.2007 | (1) पुराने इकरारनामें में समय अवधि (25 वर्ष) का उल्लेख नहीं है। (2) इकरारनामें में किराये वृद्धि का विवरण नहीं है। |
| 16 | 18 | देश राज सुपुत्र प्रेम चन्द | 604 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | फतेह चंद सुपुत्र सोम प्रकाश | 566 | 13.2.2007 | —यथोपरि— |
| 18 | 20 | फतेह चंद सुपुत्र सोम प्रकाश | 330 | 13.2.2007 | —यथोपरि— |
| 19 | 21 | जरनैल सिंह सुपुत्र संत राम | 1558 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 20 | 22 | लाल सिंह सुपुत्र सूरत राम | 850 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 21 | 23 | फूमंण सिंह सुपुत्र हृदय राम | 519 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 22 | 24 | जरनैल सिंह सुपुत्र सूरत राम | 500 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 23 | 25 | रोशन लाल सुपुत्र संत राम | 1888 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 24 | 26 | कर्म चंद सुपुत्र दया राम | 1520 | 25.3.2008 | (1) पुराने इकरारनामें में समय अवधि (25 वर्ष) का उल्लेख नहीं है, (2) इकरारनामें में किराये वृद्धि का विवरण नहीं दर्शाया है। |
| 25 | 28 | भाग सिंह सुपुत्र संत राम | 8025 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 26 | 30 | राधे श्याम सुपुत्र राम चंद | | 29.11.2004 | —यथोपरि— |
| 27 | 30/1 | कृष्ण चंद सुपुत्र धनीया राम | 350 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 28 | 31 | कृष्ण चंद सुपुत्र धनीया राम | 425 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 29 | 38 | मदन लाल सुपुत्र | 1888 | 5.3.2008 | —यथोपरि— |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सीता राम | | | |
| 30 | 41 | राधे श्याम सुपुत्र लाल मन | 1612 | 5.3.2008 | —यथोपरि— |
| 31 | 46 | भाग सिंह सुपुत्र नथू राम | 2208 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 32 | 51 | नरेन्द्र कुमार सुपुत्र धनीया राम | 1500 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 33 | 55 | भाग सिंह सुपुत्र हरि जी राम | 1300 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 34 | 59 | दीन दयाल सुपुत्र सूरज | 482 | 25.3.2008 | —यथोपरि— |
| 35 | 60 | लाल दीन सुपुत्र अल्लाहदीन | 875 | 5.3.2008 | —यथोपरि— |

**(ग) दुकानों के किराये के इकरारनामें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करनाः—**

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के इकरारनामें की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दुकानों के इकरारनामें जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाये।

| **क्र0सं0** | **दुकान न0.** | **नाम दुकानदार** | **किराया प्रतिमाह वर्ष 2011—12** | **दुकान जब से किराये पर दी है** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी | 52790 | 11/2008 |
| 2 | 15 | गगनदीप सुपुत्र बलजीत सिंह | 207 | 4/2001 |
| 3 | 24 | तिलक राज सुपुत्र दया राम | 500 | 4/2010 |
| 4 | 27 | मस्त राम सुपुत्र फीगु राम | 288 | 5/2010 |
| 5 | 33 | तरसेम लाल सुपुत्र रोशन लाल | 6866 | 9/2003 |
| 6 | 34 | रतन लाल सुपुत्र गुरूवख्श | 2745 | 8/2004 |
| 7 | 35 | नरेन्द्र सिंह सुपुत्र धनीया राम | 2403 | 4/2000 |
| 8 | 36 | मुकेश शर्मा सुपुत्र मद लाल | 1875 | 8/2004 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | राम चंद सुपुत्र सीता राम | 2145 | 5/2003 |
| 10 | 39 | फुमंण सिंह सुपुत्र लिटभ राम | 1631 | 4/2001 |
| 11 | 40 | भाग सिंह सुपुत्र सीता राम | 1000 | 4/2001 |
| 12 | 42 | राकेश कुमार सुपुत्र अमर सिंह | 1792 | 8/2004 |
| 13 | 43 | जगदेव चंद सुपुत्र लेख राम | 1845 | 5/2010 |
| 14 | 44 | रतन लाल सुपुत्र गुरू वख्श | 1974 | 4/2001 |
| 15 | 45 | विनोद कुमार सुपुत्र सीता राम | 708 | 5/2010 |
| 16 | 47 | राम दास सुपुत्र गुलाब राम | 2338 | 7/2005 |
| 17 | 48 | राम दास सुपुत्र गुलाब राम | 1944 | 8/2005 |
| 18 | 49 | उमेश कुमार सुपुत्र चंद्र प्रकाश | 2187 | 5/2010 |
| 19 | 50 | नवीनत कुमार सुपुत्र वेद प्रकाश | 1597 | 5/2010 |
| 20 | 52 | सुरेश कुमार सुपुत्र जय राम | 1750 | 4/2011 |
| 21 | 53 | कृष्ण चंद सुपुत्र धमियां राम | 8840 | 4/2002 |
| 22 | 54 | हि0प्र0 पथ परिवहन निगम श्री नयना देवी जी (आरक्षण केन्द्र) | 960 | – |
| 23 | 56 | विपन कुमार सुपुत्र राम दास | 1650 | 8/2005 |

## 10 नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस ₹27500/–की वसूली न करना:–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहाईसी एवं प्रतिष्ठानों के भवनों में मोबाईल टावर स्थापित किये गए। जिन का ब्यौरा **परिशिष्ट (छ)** में दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV(IT) 2005 (MISC) दिनांक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की बकाया ₹27500/–को विभिन्न कम्पनियों से वसूल करने के उपरान्त नगर परिषद कोष मे ंजमा करवाया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

## 11 ₹5711.00 की राशि को समय पर बैंक खाते में जमा न करनाः—

परिषद की रोकड़ वही तथा बैंक खातों की जांच पड़ताल करने पर अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹5711.00 परिषद के बैंक खाते में समय पर जमा न करके काफी विलम्ब से जमा किया गया, जो वित्तीय नियमों की अवहेलना है। अतः राशि को देरी से बैंक खाते में जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा समय पर जमा न करने के कारण जो परिषद को ब्याज के रूप में आय की हानि हुई है। अपने स्त्तर पर गणना कर दोषी से वसूल करके परिषद कोष में जमा करवाया जाए व भविष्य में प्राप्ति की राशि को समयवध जमा करवाना सुनिश्चित करें।

| चयनित माह | दिनांक | जी—8 न0 | राशि (₹) | रोकड़ वही में दर्ज करने की तिथि | बैंक में राशि जमा करवाने कर तिथि | दिन देरी से राशि जमा हुई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2010 | 24.3.2010 | 21/60 | 1382 | 24.3.2010 | 5.4.2010 | 12 दिन |
| | 24.3.2010 | 22/60 | 736 | 24.3.2010 | 5.4.2010 | 12 दिन |
| | 24.3.2010 | 23/60 | 600 | 24.3.2010 | 5.4.2010 | 12 दिन |
| | 24.3.2010 | 24/60 | 500 | 24.3.2010 | 5.4.2010 | 12 दिन |
| | 24.3.2010 | 25/60 | 1000 | 24.3.2010 | 5.4.2010 | 12 दिन |
| | 24.3.2010 | 26/60 | 600 | 24.3.2010 | 5.4.2010 | 12 दिन |
| | 24.3.2010 | 27/60 | 600 | 24.3.2010 | 5.4.2010 | 12 दिन |
| | 25.3.2010 | 37/60 | 43 | 25.3.2010 | 5.4.2010 | 11 दिन |
| | 25.3.2010 | 39/60 | 250 | 26.3.2010 | 5.4.2010 | 10 दिन |
| | | **राशि** | **5711** | | | |

## 12 ₹6.88 लाख गृह कर की राशि वसूली योग्य शेषः–

परिषद के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹688928/–गृहकर की बकाया राशि दिनांक 31.3.2011 तक वसूली योग्य शेष थी तथा अवधि 4/2011 से 3/2012 तक के गृहकर राशि की वसूली हेतु नियमानुसार गृहकर बिल परिषद की सीमा क्षेत्र के गृहकरदाताओं को जारी नहीं किये गये थे। परिषद द्वारा गृहकर अदायगी के बिल जारी न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष प्रयास किये जाए ताकि परिषद की आय में वृद्धि हो सके व विकास कार्य प्रभावित न हो।

**नगर परिषद श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर (हि0प्र0)**

| क्र0 सं0 | वार्ड नं0 | गृहकरदाता का नाम | अवधि जब से गृहकर बकाया है | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 व 5 | अराधना पत्नी मधु सूदन | 4/08 से 3/11 | 9816 |
| 2 | 1, 2 व 7 | दिनेश कुमार सुपुत्र उमा दत्त | 4/08 से 3/11 | 2474 |
| 3 | 1 | गायत्री देवी पत्नी योगेश्वर प्रसाद | 4/08 से 3/11 | 9282 |
| 4 | 2 | अजय कुमार सुपुत्र भगत राम | 4/08 से 3/11 | 5246 |
| 5 | 2 | प्रबन्धक गणपति रोप वे श्री नयना देवी जी | 4/08 से 3/11 | 90587 |
| 6 | 7 | आत्मा देवी पत्नी कांशी राम | 4/08 से 3/11 | 10382 |
| 7 | 4 | सुरेन्द्र ग्रोवर सुपुत्र बी0एस0ग्रोवर | 4/08 से 3/11 | 36000 |
| 8 | 4 | उमेश कुमार सुपुत्र तारा चंद | 4/08 से 3/11 | 5876 |
| 9 | 2 | आशुतोष शर्मा सुपुत्र जीवा नंद | 4/08 से 3/11 | 4655 |
| 10 | 1 | मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित दुकान न0 I का गृहकर बकाया | 11/08 से 3/11 | 135000 |
| 11 | 1 | मन्दिर न्यास के कर्मचारियों की आवासीय सुविधा पर गृहकर बकाया | 4/08 से 3/11 | 73618 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | मन्दिर न्यास द्वारा संचालित मातृशरण भवन पर बकाया गृहकर राशि | 4/08 से 3/11 | 77724 |
| 13 | 1 | मन्दिर न्यास द्वारा संचालित वार्ड नं0 3 में दुकान पर गृहकर बकाया | 4/08 से 3/11 | 7294 |
| 14 | 1 | मन्दिर न्यास द्वारा संचालित मातृ आंचल भवन पर गृहकर | 4/08 से 3/11 | 98550 |
| 15 | 1 | मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित मातृ छाया भवन पर गृहकर | 4/08 से 3/11 | 101250 |
| 16 | 3 | दिवान चंद सुपुत्र परस राम | 4/08 से 3/11 | 8910 |
| 17 | 4 | मस्त राम सुपुत्र लभू राम | 4/08 से 3/11 | 4504 |
| 18 | 1 | प्रौमिला देवी पत्नी वीरेन्द्र कुमार | 4/08 से 3/11 | 3972 |
| 19 | 1 | तारा माधव सुपुत्र शिव दत | 4/08 से 3/11 | 3788 |
| | | | **कुल योग राशि गृहकर बकाया (₹)** | **688928** |

## 13 होटलों व गैस्ट हाऊसों/मालिकों से गृहकर की वसूली न करने बारेः–

परिषद के गृहकर अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार अपने सीमा क्षेत्र में स्थित होटलों व गैस्ट हाऊसों के मालिकों से गृहकर की वसूली नहीं की गई जबकि हिमाचल पद्रेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों द्वारा अपने सीमा क्षेत्र के सभी गृहकरदाताओं व होटलों व गैस्ट हाऊस मालिकों से 12.5**%** दर से गृहकर की वसूली अपेक्षित है परन्तु परिषद द्वारा गृहकर की वसूली नहीं की गई इसका औचित्य स्पष्ट करें तथा गृहकर की वसूली हेतु विशेष प्रयास करें ताकि परिषद की आय में वृद्धि हो अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये।

**नगर परिषद श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर (हि0प्र0)**

| क्र0सं0 | होटल/गैस्ट हाऊस क नाम |
|---|---|
| 1 | होटल ग्रोवर रजेन्सी |
| 2 | मन्दिर न्यास द्वारा संचालित भवन |
| | (i) मातृ आंचल भवन |
| | (ii) मातृ शरण भवन |
| | (iii) मातृ छाया भवन |
| 3 | वेद गैस्ट हाऊस |
| 4 | ईशा गैस्ट हाऊस |
| 5 | विधा गैस्ट हाऊस |
| 6 | आनंद गैस्ट हाऊस |
| 7 | पामा गैस्ट हाऊस |
| 8 | जगदीश गैस्ट हाऊस |

**14 (क) तहबाजारी की नीलामी से प्राप्त आय में गिरावट बारेः—**

वर्ष 2008—2009 से 2011/2012 तक के दौरान परिषद के तहबाजारी की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित तहबाजारी की नीलामी मूल्य में वर्ष 2009—10 व 2010—11 में काफी गिरावट दर्ज की गई जिसके कारणों के फलस्वरूप परिषद की आय में कमी हुई इस बारे पूर्ण तथ्य सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व अपने स्तर पर छानबीन की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

| 2008—2009 | 2009—2010 | 2010—2011 | 2011—2012 |
|---|---|---|---|
| प्राप्त राशि | प्राप्त राशि | प्राप्त राशि | प्राप्त राशि |
| 666000 | 313000 | 234000 | 406000 |

**(ख) नीलामी की शर्तों के अनुसार तहबाजारी शुल्क की वसूली न करने के फलस्वरूप ₹0.56 लाख की वित्तीय हानिः—**

अंकेक्षण अवधि 4/2008 से 3/2012 तक के दौरान तहबाजारी से सम्बन्धित नीलामी अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2008—2009 से 2010—11 तक नगर परिषद द्वारा तहबाजारी की वसूली हेतु नीलामी की गई थी। नीलामी की शर्तों के अनुसार (राशि की

अदायगी प्रत्येक माह की 7 तारीख को निश्चित की गई थी विलम्ब से अदायगी करने पर 1**%** की दर से विलम्ब शुल्क प्रतिदिन) वसूल किया जाना अपेक्षित था परन्तु निम्नलिखित मामलों में नियमानुसार विलम्ब शुल्क के रूप में **₹**56782/–की वसूली नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि की अब वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

**तहबाजारी नीलामी ठेका वर्ष 2008–2009**

| **विवरण** | **विलम्ब शुल्क का विवरण** |
|---|---|
| आंबटित ठेका राशिः– 666000<br>राशि अदायगी प्रतिमाह :–666000.12<br>55500 प्रतिमाह | राशि की अदायगी प्रत्येक माह की तारीख 7 तक जमा करवानी होगी अन्यथा 1**%** प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। |

**किस्त अदायगी विवरणः–**

| **क्र0सं0** | **जी–8 नं0** | **दिनांक** | **राशि (₹)** | |
|---|---|---|---|---|
| I | 23/42 | 29.4.2008 | 55500 | 8.4.2008 से 29.4.2008 तक =22 दिन (विलम्ब) 1**%** प्रतिदिन की दर से शुल्क 555X22=12210 |
| II | 20/44 | 11.08.2008 | 55500 | 8.8.2008 से 11.8.2008 तक=4 दिन 555x4=2220 |
| III | 39/45 | 15.09.2008 | 55500 | 8.9.2008 से 15.9.2008 तक= 8 दिन 555x8=4440 |
| IV | 20/46 | 18.10.2008 | 55500 | 8.10.2008 से 18.10.2008 तक=11 दिन (विलम्ब शुल्क) 555x11=6105 |
| V | 001/47 | 11.11.2008 | 55500 | 8.11.2008 से 11.11.2008 तक= 3 दिन 555X3=1665 |
| VI | 0025/47 | 15.12.2008 | 55500 | 8.12.2008 से 15.12.2008 तक=8 दिन |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 555x8=4440 |
| VII | 003/48 | 19.1.2009 | 55500 | 8.1.2009 से 19.1.2009 तक=12 दिन |
| | | | | 555X12=6660 |
| VIII | 004/49 | 11.2.2009 | 55500 | 8.2.2009 से 11.2.2009 तक =4 दिन |
| | | | | 555X4=2220 |
| | | कुल योग वर्ष 2008–09 | | 39960 |

**II 2009–2010**

| **विवरण** | **विलम्ब शुल्क का विवरण** |
|---|---|
| ठेकेदार का नाम राशिः–313000 वर्ष | राशि की अदायगी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा करवानी होगी। |
| राशि अदायगी प्रतिमाहः– 313000/12<br>26083 प्रतिमाह | अदायगी न करने पर **1%** प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। |

**किस्त अदायगी विवरणः–**

| **क्र0सं0** | **जी–8 नं0** | **दिनांक** | **राशि (₹)** | |
|---|---|---|---|---|
| I | 28/51 | 16.4.2009 | 26083 | 8.4.2009 से 16.4.2009 तक =9 दिन (विलम्ब) |
| | | | | 261X9=2349 |
| II | 44/51 | 18.5.2009 | 26083 | 8.5.2009 से 205.2009 तक =14 दिन (विलम्ब) |
| | | | | 261X14=3654 |
| III | 26/52 | 10.6.2009 | 26083 | 8.6.2009 से 10.6.2009 तक =3 दिन (विलम्ब) |
| | | | | 261X3=783 |
| | **योग राशि(₹) वर्ष 2009–10** | | | **6786** |

**III 2010–2011**

| **विवरण** | **विलम्ब शुल्क का विवरण** |
|---|---|
| ठेकेदार का नाम :–सुख राम सुपुत्र हरिया राम | |
| आबंटित ठेका राशिः'– 234000 | राशि की अदायगी प्रत्येक माह की तारीख 7 तक करनी होगी। अन्यथा 1**%** प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। |
| राशि अदायगी प्रतिमाहः– 234000 / 12<br>19500 प्रतिमाह | |

**किस्त अदायगी विवरणः–**

| **क्र0सं0** | **जी–8 नं0** | **दिनांक** | **राशि (₹)** | |
|---|---|---|---|---|
| I | 46 / 52 | 16.4.2010 | 19500 | 8.4.2010 से 16.4.2010 तक =9 दिन (विलम्ब)<br>195X9=1755 |
| II | 33 / 63 | 18.5.2010 | 19500 | 8.5.2010 से 13.5.2010 तक =6 दिन (विलम्ब)<br>195X6=1170 |
| III | 2 / 68 | 14.12.2010 | 19500 | 8.12.2010 से 14.12.2010 तक =7 दिन (विलम्ब)<br>195X7=1365 |
| | **योग राशि(₹) वर्ष 2010–11** | | | **4290** |

**IV 2011–2012**

| **विवरण** | **विलम्ब शुल्क का विवरण** |
|---|---|
| ठेकेदार का नाम :–मदन लाल सुपुत्र लक्ष्मण दास | नीलामी की शर्त |
| आबंटित ठेका राशिः'– 406000 | राशि की अदायगी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा करवानी होगी। |
| राशि अदायगी प्रतिमाहः– 406000 / 12<br>33833 प्रतिमाह | अदायगी न करने पर 1**%** प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। |

**किस्त अदायगी विवरणः–**

| **क्र0सं0** | **जी–8 नं0** | **दिनांक** | **राशि (₹)** | |
|---|---|---|---|---|
| I | 35/1 | 18.6.2011 | 33833 | 8.6.2011 से 18.6.11 तक =11 दिन (विलम्ब)<br>338X11=3718 |
| II | 27/2 | 10.8.2011 | 33833 | 8.8.2011 से 10.8.2011 तक =3 दिन (विलम्ब)<br>338X3=1014 |
| III | 3/3 | 10.10.2011 | 33833 | 8.1202011 से 10.10.2011 तक =3 दिन (विलम्ब)<br>338X3=1014 |
| | वर्ष 2011–12 तक राशि (₹) | | | 5746 |
| वर्ष 2008–2009 से 2011–12 तक तहबाजारी की नीलामी से कम वसूली राशि (₹) | | | | 56782 |

## 15 लाईसैन्स फीस ₹9728.00 की वसूली न करनाः–

परिषद कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जी0ए0डी0–डी–3(सी) 14–2/97 दिनांक 21.9.2010 के तहत संशोधित दर से कर्मचारियों को आंबटित आवासीय सुविधा टाईप I,II,III से सम्बन्धित लाईसैन्स फीस की वसूली परिषद द्वारा कर्मचारियों से नियमानुसार नहीं की गई जो वसूली योग्य राशि ₹9728.00 बनती है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः उक्त राशि की यथाशीध्र वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाया जाए।

| क्र0सं0 | कर्मचारी का नाम | आंबटित आवासीय श्रेणी | अवधि | प्रतिमाह वसूली गई राशि (₹) | वास्तव में वसूली योग्य राशि (₹) | कम वसूल राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | श्री के0आर0 ठाकुर<br>कार्यकारी अधिकारी | टाईप II | 22.9.2010 से 30.9.2010 तक | 114X9 दिन<br>30 दिन<br>34 | 228X9 दिन<br>30 दिन<br>68 | 34 |
| | | टाईप II | 1.10.2010 से 31.3.2011 तक | 114X6 महीने<br>684 | 228X6 महीने<br>1368 | 684 |
| | | टाईप III | 1.4.2011 से 28.2.2012 तक (स्थांनातरित) | 194X11 महीने<br>2134 | 388X11<br>4268 | 2134 |
| II | राम प्रकाश परमार<br>(लिपिक) | टाईप II | 22.9.2010 से 30.9.2010 तक | 114X9<br>30<br>34 | 228X9<br>30<br>68 | 34 |
| | | टाईप II | 1.10.2010 से 31.3.2011 तक | 114X6<br>684 | 228X6<br>1368 | 684 |
| | | (दिनांक 1.4.2011 को कर्मचारी स्थानान्तरित ) | | | | |
| III | नरेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता | टाईप II | 1.10.2010 से 31.3.2011 तक | 114X6<br>684 | 228X6<br>1368 | 684 |
| | | टाईप II | 1.4.2011 से 31.3.2012 | 114X12<br>1368 | 228X12<br>2736 | 1368 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तक | | | |
| IV | राम पाल कैटल पैंड कीपर कम चौकीदार | टाईप I | 22.9.2010 से 30.9.2010 तक | 53X9 दिन 30 दिन=16 | 106X9 दिन 30 दिन =32 | 16 |
| | | टाईप I | 1.10.2010 से 31.3.2011 तक | 53X6 318 | 106X6 =636 | 318 |
| | | टाईप I | 1.4.2011 से 31.7.2011 तक | 53X4 212 | 106X4 424 | 212 |
| | | टाईप II | 1.8.2011 से 31.3.2012 तक | 114X8 912 | 228X8 1824 | 912 |
| V | राम कृष्ण सफाई कर्मचारी | टाईप I | 22.9.2010 से 30.9.2010 तक | 53X9 दिन 30 दिन=16 | 106X9 दिन 30 दिन =32 | 16 |
| | | टाईप I | 1.′10.2010 से 31.3.2011 तक | 53X6 318 | 106X6 =636 | 318 |
| | | टाईप I | 1.4.2011 से 31.9.2011 तक | 53X6 318 | 106X6 =636 | 318 |
| | | (कर्मचारी सेवा निवृत) | | | | |
| VI | प्रकाश चंद सफाई कर्मचारी | टाईप I | 22.9.2010 से 30.9.2010 तक | 53X9 दिन 30 दिन=16 | 106X9 दिन 30 दिन =32 | 16 |
| | | टाईप I | 1.10.2010 से 31.3.2010 | 53X6 318 | 106X6 =636 | 318 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तक | | | |
| | | टाईप I | 1.4.2011 से 31.3.2012 तक | 53X12 636 | 106X12 =1272 | 636 |
| VII | प्रदीप कुमार लिपिक | टाईप II | 1.6.2011 से 31.3.2012 तक | 114X9 1026 | 228X9 2052 | 1026 |
| | | | | कुल राशि जो परिषद द्वारा कम वसूल की | | (₹)9728 |

## 16 किरायेदारों से प्रतिभूति राशि (Security) की विलम्ब से वसूली करने बारेः–

परिषद के किराया मांग व संग्रह रजिस्टर इकरारनामें व प्रतिभूति अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा दुकानों के किरायेदारों से प्रतिभूति राशि की अग्रिम वसूली की जानी अपेक्षित थी प्रतिभूति की राशि की वसूली नियमानुसार न करके दुकानों का आंबटन करने के अनुमानित 7 या 8 वर्षों पश्चात वसूली की गई विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। विलम्ब से प्रतिभूति राशि वसूल करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए जिस कारण परिषद को ब्याज के रूप में आर्थिक हानि हुई है। यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

**(नगर परिषद श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर हि0प्र0)**

| क्र0सं0 | दुकान नं0 | नाम दुकानदार | प्रतिभूति राशि | राशि वसूल की गई जी–8 न0 व दिनांक | विलम्ब से वसूल राशि जी–8 व दिनांक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | सतपाल सुपुत्र रूलटू राम | 10000 | 47 / 58 31.1.2004 5000 | 23 / 58 8.3.2010 5000 | ब्याज सहित प्रतिभूति राशि की वसूली नहीं की गई |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | गुरूवचन सुपुत्र संत राम | 10000 | 37 / 52<br>17.1.2003<br>2000 | 21 / 58<br>8.3.2010<br>8000 | —यथोपरि— |
| 3 | 6 | देव राज सुपुत्र जगत राम | 10000 | 36 / 52<br>17.'1.2003<br>2000 | 5 / 58<br>5.3.2010<br>8000 | —यथोपरि— |
| 4 | 7 | नीरज कुमार सुपुत्र राम कृष्ण | 10000 | 2 / 52<br>1.7.2002<br>1000 | 2 / 58<br>4.3.2010<br>9000 | —यथोपरि— |
| 5 | 9 | नेरन्द्र सुपुत्र विधि सिंह | 10000 | 15 / 52<br>17.7.2002<br>2000 | 42 / 58<br>9.3.2010<br>8000 | —यथोपरि— |
| 6 | 11 | हरि सिंह सुपुत्र सुन्दर | 10000 | 43 / 52<br>24.1.2003<br>2000 | 42 / 57<br>19.2.2010<br>8000 | —यथोपरि— |
| 7 | 13 | अलकेन्द्र भूषण सुपुत्र शशी भूषण | 10000 | 1 / 52<br>01.7.2002<br>1000 | 40 / 4<br>8.2.2010<br>9000 | —यथोपरि— |
| 8 | 14 | सरोज कुमारी पत्नी वीरेन्द्र | 10000 | 6 / 52<br>4.7.2002<br>1000 | 15 / 58<br>6.3.2010<br>9000 | —यथोपरि— |
| 9 | 18 | देश राज सुपुत्र प्रेम चंद | 10000 | 12 / 52<br>10.7.2002<br>1000 | 9 / 58<br>5.3.2010<br>9000 | —यथोपरि— |
| 10 | 21 | जरनैल सिंह सुपुत्र सूरत राम | 10000 | 04 / 52<br>2.7.2002<br>2000 | 49 / 58<br>10.3.2010<br>8000 | —यथोपरि— |
| 11 | 22 | लाल सिंह सुपुत्र सूरत राम | 10000 | 21 / 52<br>31.7.2002 | 21 / 59<br>11.3.210 | —यथोपरि— |

1000 9000

## 17 ₹1.53 लाख वाहन पार्किंग नीलामी की वसूली नीलामी शर्ताअनुसार न करनाः–

वाहन पार्किंग की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2008–2009 से वर्ष 2010–2011 तक नगर परिषद द्वारा पार्किंग की नीलामी की गई थी लेकिन परिषद द्वारा नीलामी की शर्तों के अनुसार (राशि की अदायगी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक न जमा करने पर 1**%** विलम्ब शुल्क प्रतिदिन) दर अनुसार ₹153315.00 की पार्किंग की ठेंकेदार से वसूली करनी शेष थी। जिसे तुरन्त वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाया जाये।

| **वाहन पार्किंग नीलामी**<br>**विवरण** | **वर्ष 2008–2009**<br>**विलम्ब शुल्क का विवरण** |
|---|---|
| ठेकेदार का नाः– पवन कुमार सुपुत्र सूरजन | राशि की अदायगी प्रत्येक माह को 7 तारीख तक करनी होगी। भुगतान न करने पर 1**%** प्रतिदिन की दर अनुसार विलम्ब शुल्क |

आंबटित राशि ठेकाः– 1815000.00

राशि अदायगी 1815000 / 12

प्रतिमाह 151250 प्रतिमाह

| **किस्त अदायगी** | **जी–8 नं0** | **दिनांक** | **राशि** | |
|---|---|---|---|---|
| I | 30 / 41 | 14.4.2008 | 151250 | 8.4.2008 से 14.4.2008 तक=07 दिन (विलम्ब) 1**%**प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क 1513x7=10591 |
| II | 19 / 44 | 11.08.2008 | 151250 | 8.4.2008 से 11.4.2008 तक=4 दिन |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1513x4=6052 |
| III | 19/46 | 18.10.2008 | 151250 | 8.10.2008 से 18.10.2008 तक=11 दिन 1513X11=16643 |
| IV | 38/45 | 15.09.2008 | 151250 | 8.9.2008 से 15.09.2008 तक=8 दिन 1513X8=12104 |
| V | 50/46 | 11.11.2008 | 151250 | 8.11.2008 से 11.11.2008 तक 4 दिन 1513X4=6052 |
| VI | 24/47 | 15.12.2008 | 151250 | 8.11.2008 से 15.12.2008 तक 8 दिन 1513X8=12104 |
| VII | 002/48 | 19.1.2009 | 151250 | 8.11.2008 से 19.1.2009 तक 12 दिन 1513X12=18156 |
| VIII | 003/49 | 11.2.2009 | 151250 | 8.2.2009 से 11.2.2009 तक 4 दिन 1513X4=6052 |
| IX | 0044/50 | 20.3.2009 | 151250 | 8.03.09 से 20.3.09 तक 13 दिन 1513X13=19669 |
| **कुल वसूली वर्ष 2008–2009 में शेष** | | **योग राशि (₹)** | | **107423** |

**वर्ष 2009–2010**

| **विवरण** | **विलम्ब शुल्क का ब्यौरा** |
|---|---|
| ठेंकेदार का नामः– तरसेम चंद सुपुत्र निक्का राम | I राशि का अदायगी प्रत्येक माह की तिथि 7 तक जमा करवानी होगी भुगतान न करने पर 1**%** प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। |

आंबटित ठेका राशि (₹) 1816500

राशि प्रतिमाह अदायगी 1816500

151375 प्रतिमाह

किस्त अदायगी विवरण

| **क्र0सं0** | **जी–8 नं0** | **दिनांक** | **राशि** | |
|---|---|---|---|---|
| I | 29/51 | 16.4.2009 | 151375 | 8.4.2009 से 16.4.2009 तक 9 दिन विलम्ब<br>1514X9=13626 |
| II | 27/52 | 10.6.2009 | 151375 | 8.6.2009 से 10.6.2009 तक 3 दिन<br>1514X3=4542 |
| III | अन्तिम किस्त 10**%** प्रतिभूति राशि जो पहले जमा थी में से भुगतान किया गया | 20.3.2010 | 151375 | 8.3.2010 से 20.3.2010 तक 14 दिन<br>1514X14=21196 |
| जी–8 नं0 40/49 दिनांक 4. 3.2009 | कुल वसूली वर्ष 2009–2010 के ठेके में शेष | | | 39364 |

**वर्ष 2010–2011**

| **विवरण** | **विलम्ब शुल्क का ब्यौरा** |
|---|---|
| ठेकेदार का नामः– तरसेम चंद सुपुत्र निक्का राम | I राशि की अदायगी प्रतयेक माह की 7 तारीख तक होगी भुगतान न करने पर 1**%** प्रतिदिन की दर विलम्ब शुल्क देय होगा। |

आंबटित ठेकरा राशिः–1306000

राशि अदायगी प्रतिमाह

1306000 / 12

108833 प्रतिमाह

किस्त अदायगी विवरण

| क0सं0 | जी–8 नं0 | दिनांक | राशि | |
|---|---|---|---|---|
| I | 32 / 63 | 13.5.2010 | 108833 | 8.05.2010 से 13.5.2010 तक 6 दिन<br>1088ग6=6528 |
| | | वर्ष 2010–11 में कम वसूल राशि | | 6528 |
| | वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक राशि (₹) की वसूली शेष | | | 153315 |

## 18 दुकानदारों से प्रतिभूति राशि की ₹136000 / – की वसूली न करने बारेः–

परिषद के रैन्ट मांग व संग्रह अभिलेख व दुकानों के इकरारनामों के जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹136000 / –की राशि परिषद द्वारा दुकानो की नीलामी से पहले प्रतिभूति राशि की वसूली अनुबन्ध में दी गई शर्ताअनुसार विभिन्न दुकानदारो से नहीं की थी। राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा उक्त राशि की वसूली तुरन्त प्रभाव से की जानी सुनिश्चित की जाए।

**नगर परिषद श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर हि0प्र0**

| **क्र0सं0** | **दुकान नं0** | **नाम दुकानदार** | **प्रतिभूति राशि (₹)** |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | योगेश कुमार सुपुत्र बचना सिंह | 8000 |
| 2 | 10 | रतन लाल सुपुत्र संत राम | 8000 |
| 3 | 12 | रतन लाल सुपुत्र संत राम | 8000 |
| 4 | 16 | सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र दौलत राम | 8000 |
| 5 | 17 | रमेश कुमार सुपुत्र दुर्गा दास | 10000 |
| 6 | 19 | फतेह चंद सुपुत्र सोम प्रकाश | 5000 |
| 7 | 20 | फतेह चंद सुपुत्र सोम प्रकाश | 10000 |
| 8 | 29 | कृष्ण लाल सुपुत्र संत राम | 10000 |
| 9 | 30 | राधे श्याम सुपुत्र राम चंद | 10000 |
| 10 | 23 | फुमण सिंह सुपुत्र लटिभ राम | 9000 |
| 11 | 1 | मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी | 10000 |
| 12 | 15 | गगन दीप सुपुत्र बलजीत सिंह | 9000 |
| 13 | 25 | रोशन लाल सुपुत्र संत राम | 8000 |
| 14 | 26 | कर्म चंद सुपुत्र दया राम | 8000 |
| 15 | 40 | नरेश कुमार सुपुत्र प्रकाश राम | 10000 |
| 16 | 42 | राकेश कुमार सुपुत्र अमर सिंह | 5000 |
| | | **योग राशि (₹)** | **136000** |

## 19 मन्दिर न्यास श्री न्यास देवी जी से दुकान नं0 एक का किराया ₹21 लाख की वसूली न करने बारेः—

परिषद के रैन्ट मांग व संग्रह अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नवम्बर 2008 से मन्दिर श्री नयना देवी जी को दुकान नं0 एक ₹52790 प्रतिमाह किराये पर दी गई है। परिषद द्वारा मन्दिर न्यास से न तो प्रतिभूति राशि की वसूली की और न ही दुकान के किराये का इकरारनामा बनाया गया। प्रतिभूति राशि व इकरारनो न बनाना का औचित्य स्पष्ट

किया जाये तथा निम्न विवरणानुसार ₹2164390/–की वसूली न करने कारण स्पष्ट करें तथा राशि की वसूली मन्दिर न्यास से यथाशीध्र करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए उक्त दुकान का अनुबन्ध तुरन्त किया जाए ताकि भविष्य में कोई विधिक अड़चन न आए।

| **क्र0सं0** | **नाम** | **दुकान नं0** | **किराया प्रतिमाह** | **दिनांक जब से दुकान के किराये की वसूली नहीं हुई** | **वसूली योग्य राशि (₹)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी | I | 52790 | 11/2008 से 3/2012 तक (41 महीने) | 52790X41=2164390 |
| | | | | योग राशि (₹) | 2164390 |

## 20 हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा देय बिजली उपयोग कर की बकाया ₹26521.00 की वसूली शेषः–

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 66 (i)(viii) के अन्तर्गत नगर परिषद क्षेत्र में बिजली की खफत पर एक पैसा प्रति यूनिट बिजली प्रभार हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से वसूल करने के उपरान्त नगर परिषद कोष में जमा करवाना अपेक्षित था। अतः परिशिष्ट (ज) में दर्शाई गई बिजली प्रभार की 31.3.2012 तक बकाया ₹26521.00 को बिजली बोर्ड से तुरन्त वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

## 21 एक खाते से दूसरे खाते में बैंक ट्रांसफर पर ₹3180477.00 की प्रविष्टियां न करने बारेः–

रोकड़ वही का आंकलन पर पाया गया कि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खातों में ₹3180477.00 की Bank transfer cheque विभिन्न दिनांकों को दर्शाए गए परन्तु किस दिनांक को बैंक ट्रांसफर के माध्यम से राशियां अन्तरित की गई रोकड़ वही में कोई लेखांकन नहीं किया गया। ऐसी प्रविष्टियों की राशियों का लेखांकन रोकड़ वही में किया जाना अपेक्षित था। भविष्य में रोकड़ वही का निर्माण करते समय किस बैंक से B.T. तैयार की गई है व किस बैंक खाता में राशियां डाली गई रोकड़ वही में पूरा विवरण दिया जाना अनिवार्य किया जाए ताकि रोकड़ वही व बैंक से मिलान करने में कोई चूक न रह पाये। अवधि 4/08 से 3/12 तक की

Bank Transfer"s की विवरणिका परिशिष्ट (झ) अंकेक्षण के दौरान तैयार कर ली गई है जिस की जांच अपने स्त्तर पर कर लेखों का समाधान करना सुनिश्चित करें।

## 22 टाटासूमो गाड़ी सं0 एच0पी0—24 (ए)—2723 के दुरूपयोग करने बारेः—

टाटासूमो गाड़ी सं0 एच(पी)—24ए—2723 की लॉग बुक अवधि 4/08 से 3/12 तक के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त अवधि में गाड़ी का प्रयोग 19318 किलो मीटर कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त प्रधान व उप प्रधान नगर परिषद द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के लिखित आदेशों के किया गया। वास्वत में सभी यात्राऐं निजी उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है विस्तृत विवरण परिशिष्ट (ञ) पर दिया गया है। लॉग बुक में यात्रा का उद्देश्य का वर्णन जो दर्शाया गया वह अपने आप में सन्तोषजनक नहीं है। अंकेक्षण में पाया गया कि वर्णित अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत तौर से गाड़ी का दुरूपयोग कर नगर परिषद की ₹252990/—अनावश्यक अधिभार डाला गया। प्रायः नगर परिषद से नंगल, आनन्दपुर सिंह पी0जी0 आई चण्डीगढ़, डी0एस0सी0 व स्वास्थ्य जांच को सरकारी यात्राऐं दर्शा कर गाड़ी का दुरूपयोग किया जाता रहा। इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दर्शाई गई सभी यात्राओं को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा निजी यात्राऐं मान कर सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारियों से नियमानुसार राशि की वसूली की जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

## 23 (क) प्रतिभूति जमा राशि के लेखों का उचित रख—रखाव न किया जानाः—

प्रतिभूति जमा राशि के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद श्री नयना देवी जी में विकासात्मक कार्य, निर्मित दुकानों से प्राप्त प्रतिभूति राशि तहबाजारी प्रतिभूति राशि, खुली बोली के दौरान प्रतिभूति राशि व अन्य कार्यों पर ली जाती प्रतिभूति राशियों का म्यूनिसिपल फण्ड खाता सं0 255 व स्टेट बैंक शाखा क खाते में अन्तरित किया जाता है जबकि प्रतिभूति निधि से प्राप्त राशि से सम्बन्धित अलग से रोकड़ वही का निर्माण किया जाना अनिवार्य है जिसमें प्रत्येक वर्ष में प्राप्त प्रतिभूति राशियों की लेन देन की सत्यता की पुष्टि की जा सकें। रोकड़ वही व बैंक खातों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रतिभूति राशियों का समेकित कर एक ही रोकड़ वही में निर्माण तो कर लिया जाता है परन्तु मिलान करते समय (जी—8 के माध्यम से) काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं परामर्श दिया जाता है कि प्रतिभूति राशि की रोकड़ वही का अलग से निर्माण किया जाए ताकि लेन देन प्रविष्टियों का पड़ताल आसानी से की जा सके।

**(ख) एस0जे0आर0वाईः–**

अंकेक्षण अवधि तक SJSRY की रोकड़ वही का निर्माण नहीं किया गया जबकि प्राप्त अनुदान व सहायता राशियां का लेखंकन सामान्य फण्ड से किया जाता रहा जो कि उचित नहीं था। अतः शीध्र SJSRY की रोंकड़ वही का निर्माण एवं प्राप्त अनुदान राशियां प्रविष्टियों का लेखंकन प्रभावी करें।

**24 (क) वेतन एवं भत्ते की जांच रजिस्टर का निर्माण नियमानुसार न करने बारेः–**

अंकेक्षण अवधि के दौरान वेतन जांच रजिस्टर के पड़ताल पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष में प्रदान किए जाने वाले वेतन भत्तों, बकाया राशि अभिलेखें को अपूर्ण रखा गया है। इसमें समय–समय पर प्रविष्टियां नहीं की जाती। अंकेक्षण अवधि के दौरान इसे पूर्ण करवाया गया व भविष्य में स्थापना रजिस्टर का रख–रखाव सरकार द्वारा जारी दिशा अनुदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करं इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि व संशोधित वेतन मानों से सम्बन्धित प्रविष्टियां नियमानुसार सेवा पुस्तिका में उचित प्रकार से की जाए।

**(ख)** सेवा निवृत एवं पैन्शनरों को भुगतान से सम्बन्धित अलग से जांच रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः परिषद को सुझाव दिया जाता है की सेवा निवृत कर्मचारियों को भुगतान सम्बन्धी लेखो का जांच रजिस्टर तैयार किया जाए ताकि गलत भुगतान की सम्भावना को रोक लगाई जा सके व पैन्शन, ग्रेज्यूटी, पारिवारिक पैन्शन, लीव इन कैशमैन्ट व अन्य लाभों की प्रविष्टियां उनकी सेवा पंजिका में दर्ज नहीं की गई। भुगतान सम्बन्धित सभी प्रविष्टियां निजी नस्ति में कि जानी सुनिश्चित की जाए।

**(ग)** परिषद में कार्यरत्त कर्मचारियों एवं कार्यकारी अधिकारी को चिन्हित आवास सुविधा प्रदान की गई जो कि मन्दिर न्यास के कृपाली कुण्ड के समीप जिस के धरातल में Junior Asstt. माली एवं कार्यकारी अधिकारी को उन की पात्रता के अनुसार आंबटित किया जाता रहा है परन्तु अंकेक्षण में पड़ताल पर पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी चिन्हित आवास को प्रस्ताव सं0 382 दिनांक 27.10.10 द्वारा पारित स्थान से बदल कर कार्यालय के प्रथम फ्लौर पर आंबटित किया गया है व चिन्हित आवास को Junior Asstt. को आबंटित किया गया व अन्य आवास काफी समय से खाली पड़े है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए परामर्श दिया जाता है खाली पड़े आवास को यथाशीध्र आंबटन कर दिया जाए ताकि नगर परिषद को आय की वृद्धि हो सके व परिषद के विकाय कार्य में प्रयोग किया जा सके।

**(घ) चतुर्थ श्रेणी आवास को आंगन बाड़ी को देने पर परिषद को ₹14400/—की हानिः—**

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद के चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत्त माली के सेवानिवृति उपरान्त उनके आवास में आगंनबाड़ी केन्द्र अवधि 2008 से 2009 के दौरान बिना कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के तत्कालीन प्रधान द्वारा संचालित करवाया गया जिसमें 2 कमरों, किचन व स्टोर का प्रावधान था। मनोनीत प्रधान द्वारा अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए उक्त आवास को आंगन बाड़ी केन्द्र में तबदील कर सरकारी आवास का दुरूपयोग किया गया। अगर यह आवास आंगनबाड़ी केन्द्र को उपलब्ध करवाया जाना था तो Rsoulation व उप—मण्डलीय अधिकार (नागरिक) जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की स्वीकृति उपरान्त मांग प्रतिमाह ₹200/—की दर से किराया पर देना वंन्छित था बिना स्वीकृति एवं किराए के आवास को आंगनबाड़ी केन्द्र को देने पर परिषद को ₹14400/—की हानि हुई है। इसे बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की भरपाई उचित स्त्रोत से की जानी अपेक्षित है।

**(ङ) कार्यालय के प्रथम धरातल पर आंबटित कार्यकारी अधिकारी आवास पर बिजली मीटर लगवाने बारेः—**

अंकेक्षण में अभिलेख की जांच पर पाया गया कि कार्यालय के प्रथम धरातल पर कार्यकारी अधिकारी को आंबटित आवास में बिजली की आपूर्ति परिषद खाते से की जा रही है। यह अनियमित है जबकि बिजली के बिलों की अदायगी कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जानी थी। अतः जबसे आवास का आंबटन किया गया है तक से बिजली के बिलों की अपने स्त्तर पर गणना करके सम्बन्धित अधिकारी से राशि वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए व कार्यकारी अधिकारी आंबटित आवास में अपने स्त्तर पर बिजली मीटर लगवाया जाना सुनिश्चित करवाए। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति रजिस्टर का निर्माण अपूर्ण पाया गया जिसे शीध्र पूरा कर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

**25 अनुबन्ध के आधार पर सफाई कर्मचारियों, पेयजल योजना के रख—रखाव स्ट्रीट लाईट का प्रबन्धन व परिषद सीमा के अन्दर झाडिया व पोलीथीन इकटठा करवाने के एवज में प्रतिमाह राशि ₹58624.00 का अपव्यय बारेः—**

**वा0सं0 2 माह 3/09 राशि ₹28624.00**

परिषद द्वारा निम्नलिखित विभिन्न कर्मचारियों को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया गया जिन्हें प्रतिमाह 58624/—का भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी से अलग—अलग Agreement/Qutaion basis व Negotation की गई है जबकि नगर परिषद में सफाई

व्यवस्था को वर्ष भर के लिए सुचारू रखने हेतु वार्षिक ठेका नियमानुसार खुले विज्ञापन के माध्यम से करवाया जाना अपेक्षित था व इस दोष पूर्ण प्रक्रिया/प्रणाली पर रोक लग सकती थी व प्रत्येक माह में ₹58622.00 के अपव्यय को बचाया जा सकता था इस त्रुटि बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः यह मामला हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। अनुबन्ध पर रखे गए कर्मचारियों का नाम निम्न हैः—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती सीता देवी | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 2 | सन्जीव कुमार | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 3 | जस्सी | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 4 | राकेश कुमार | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 5 | बिहारी राम | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 6 | बब्बू | 3002 | |
| 7 | गुरदेव | 3002 | |
| 8 | कमल सिंह | 3002 | |
| 9 | कमल देव | 3502 | पोलीथीन इकटठा करने |
| 10 | सुमन कुमार | 4088 | विद्युत मिस्त्री |
| 11 | ईश्वर सिंह | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 12 | यशपाल | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 13 | बगगा राम | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 14 | जीवन | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 15 | स्वर्ण सिंह | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 16 | जोगिन्द्र पाल | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 17 | कुलदीप कुमार | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 18 | श्री राम धन | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| 19 | कुलदीप कुमार | 3002 | सफाई कर्मचारी |
| | | **₹58624** | |

**26 वा0सं0 5 3/09 ₹87400/–**

**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–**

वाऊचर संख्या 5 माह 5/2009 के तहत ₹87400/– का भुगतान सहायक अभियन्ता उप मण्डल विद्युत बिलासपुर को बिजली की मुरम्मत के लिए किया गया था उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं किए गए न ही नगर परिषद कार्यालय द्वारा इस बारे कोई पत्राचार किया गया। अतः शीध्र उचित कार्यवाही कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें अन्यथा राशि को वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

**27 बिजली बिलो का भुगतानः–**

वाऊचर संख्या 24 माह 3/2010 के तहत ₹8132.00 का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड गगवाल को निम्नलिखित बिजली के मीटर अंकाऊंट नम्बर द्वारा खपत की गई बिजली के एवज में किया गया लेखा परीक्षा पर पाया गया कि इन बिजली खपत Account की प्रविष्टियां बिजली रजिस्टर के नहीं पाई गई जिसके अभाव के कारण की गई अदायगी की पुष्टि अंकेक्षण नहीं की जा सकी। अतः परिषद द्वारा लगाए गये बिजली के सभी मीटरों की प्रविष्टियों से सम्बन्धित रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित करें ताकि तथानुसार बिजली की खपत की जांच सही ढ़ंग से की जा सके।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | NDR-31 C | 276 |
| 2 | NDT-14 C | 276 |
| 3 | NDR-24 | 276 |
| 4 | NDB- 9 C | 7666 |
| 5 | NDB-2 C | 313 |
| 6 | - 21B | 325 |

## 28 आयकर संविदाकार के बिल से कटौती न करने बारेः—

## वा0सं0 20 माह 3/10 राशि ₹84930+11441.00

M/S creature Designeer Bilaspur (के प्रथम चलित बिल) से प्रोजक्ट रिपोर्ट राव सर्टक्चर डिनाईन चैकिंग एवं विरियम कैप्साटी ऑफ Soil of Mulystory बिल्डिंग पार्किंग ऐरिया बस स्टैन्ड का अनुमानित एवं प्राकलन जिस की प्रोजक्ट रिपोर्ट 1 करोड़ 49 लाख की थी को प्रोजक्ट राशि का 80+₹8493.00+11441.00(कुल राशि 96371.00 का भुगतान किया दर्शाया है। जिसका मूल्यांकन इस प्रकार से किया गया था।

| | |
|---|---|
| 1.49x1.90 पैसे की दर से | 84930 |
| एक मुश्त राशि | 1141 |
| राशि | 96371 |

प्रथम बिल से नियमानुसार 2**%** की दर से आयकर एवं 3**%** की दर educational access ₹1960.00 की कटौती की जानी अपेक्षित थी। जिसे संविदाकार के बिल से कटौती नहीं की गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक कटौती आगामी बिल से करके सरकारी कोष में जमा करवाया जाए।

## 29 फर्नीचर का क्रयः—

वाउचर संख्या 7 दिनांक 3.11.2011 के तहत ₹56368/— मैसर्ज विश्वकर्मा फर्नीचर हाऊस घुमारवीं को उनके बिल सं0 106 दिनांक शून्य कार्यालय फर्नीचर की आपूर्ति के एवज में चैक सं0 5258110 दिनांक 3.11.2010 द्वारा भुगतान किया दर्शाया है जिस की जांच पर निम्न त्रुटियां पाई गईः—

**(1)** उपरोक्त वाऊचर के तहत ₹56368/—के फर्नीचर वस्तुओं का क्रय खुले बाजार मैसर्ज विश्वकर्मा फर्नीचर हाऊस श्री नैना देवी जी से किया गया जबकि इस प्रकार की वस्तुऐं नियमानुसार सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा/सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों के माध्यम से क्रय किया जाना अपेक्षित था। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम के तहत फर्नीचर फैक्टरी स्थापित की गई है। अतः कार्यालय प्रयोगार्थ फर्नीचर का क्रय को सीधे तौर पर Funiture Factury Bilaspur के माध्यम से किया जाना था जिसके लिए स्थानीय बाजार एवं अन्य औपचारिकताओ को पूर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि Bilaspur Factory हिमाचल प्रदेश सरकार का एक उपकम है। खुले बाजार से फर्नीचर खरीदना बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट

किया जाए यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

**(2)** वर्ष 2010–2011 में नगर परिषद के बजट में ऐसी फर्नीचर वस्तुओं की खरीद हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया था तथा सरकार द्वारा फर्नीचर मदों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध था। अतः अनाधिकृत तरीके से किये गये व्यय का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

**(3)** फर्नीचर का स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां सही ढ़ंग से नहीं की गई केवल बिल सं0 को ही दर्ज किया गया है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक मद को अलग से पूर्ण ब्यौरा सहित दर्ज किया जाना अपेक्षित है। त्रुटि को अब दूर किया जाए।

## 30 सक्षम अधिाकरी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनियमित व्ययः–

अभिलेखों की जांच पड़ताल पर पाया गया कि निम्न बिल बिना स्वीकृति के पारित कर भुगतान अदा किया गया है। यह अनियमित है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

| बिल सं0/वा0सं0 | माह | राशि | शीर्ष | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1/12 | 513975 | 230–300 | स्टील का कय मैसर्ज स्टील मिल स्टोर बिल सं0 17913 दिनांक 13.1.12 |
| 36 | 1/12 | 104600<br>618575 | कोई वर्णन नहीं | 10**%** DIF योजना के अन्तर्गत योजना अधिकारी को भुगतान |

## 31 बिना औपचारिकता पूर्ण किए वाटरसप्लाई एवं सैनीटेशन सामग्री का क्रयः–

वाऊचर संख्या 29 माह 3/2011 द्वारा मैसर्ज गुरवचन सिंह को उनके बिल संख्या शून्य दिनांक शून्य के तहत वाटर सप्लाई एवं सैनीटेशन सामग्री की आपूर्ति हेतु ₹87014.00 का भुगतान किया गया है। अभिलेखों की पड़ताल पर अंकेखण में पाया गया कि उक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु स्थानीय दुकानदारो से निविदाऐं एकत्रित की गई विवरण निम्न से हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पवन कुमार | डलोह (DADOH) |
| 2 | सुख देवी | बरसी |
| 3 | गुरवचन सिंह | डलोह |

**(1)** निविदाऐं के अवलोकन पर पाया गया कि निविदाएं/कुटेशनों पर नियमानुसार कुटेशन बन्द लिफाफे में Under Seale cover envel से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी व सक्षम अधिकारियों के सामने इन्हें खोला जाना था ताकि क्रय पारदर्शिता बनी रहे परिषद द्वारा निविदाएं व्यक्तिगत तौर पर एकत्र की गई इसके अतिरिक्त केवल सेनिटेशन सामग्री की कुटेशन प्राप्त की गई थी जबकि वाटर सप्लाई की आपूर्ति से सम्बन्धित कोई कुटेशन बिल के साथ संलग्न नहीं थी । नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना व बिना कुटेशन के के सेनीटेशन की सामग्री का क्रय करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उपरोक्त सामग्री मैसर्ज गुरवचन सिंह से खरीदी गई लेकिन बिल गुरवचन सिंह द्वारा साधारण कागज पर तैयार कर प्रेष्ति किया गया जिस पर न तो बिल नं0 सी0एस0टी0 नं0 अंकित था। बिना प्रिन्टिड बिलों के भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसे अब प्राप्त किया जाए व आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

**32** कार्य का नामः– रास्ते का निर्माण बस स्टैन्ड से बाजार चौक तक वार्ड नं0 3 व 6 आर0डी–0. 250 से 0.302 तक प्रोवाईडिंग फिक्सिग रैलिंग तारा माधों के भवन तक

संविदाकार का नामः– श्री ज्ञान चन्द

समय सीमाः– 2 माह

अनुमानित राशि :– 199646.00

अवार्ड पत्र सं0:– 9 एम0एस0एन0डी0–2(380)–2006–07–693–700 दिनांक 1.2.2008

वा0सं0 16 3/09 राशि ₹53360

वर्णित कार्य श्री ज्ञान चन्द संविदाकार को अवार्ड पत्र संख्या 9 एम0एस0एन0डी0–2(380)–2006–07–693–700 दिनांक 1.2.2008 व Negotation दिनांक 21.1.2008 के उपरान्त ₹263458.00 में आंबटित किया गया जो संविदाकार के द्वितीय एवं अन्तिम बिल की जांच पड़ताल करने पर निम्न टिप्पणी अपेक्षित हैः–

(1) संविदाकार के द्वारा निम्न मदों का निष्पादन किया गया था वर्णन निम्न से हैः–

| | | कार्य मात्रा | खपत विवरणिका |
|---|---|---|---|
| 1 | Stone Aggregate 40 mm nominal size C.C. 1:6:12 | 9.21m3 | 2.20=20.26 |
| 2 | Stone Aggregate 20 mm nominal size C.C. 1:2:4 | 4.57m<br>3133.05m3 | 6.40=29.2036=<br>47.76/97.26 |
| 3 | Stone work floring (Red stone floring) | | |

नगर परिषद द्वारा उक्त क्रय हेतु संविदाकार को सीमेन्ट निम्न से जारी किया गया।

| इण्डेट सं0 | दिनांक | जारी की गई मात्रा |
|---|---|---|
| 2007–08–09 | 12.3.08 | 75 बोरी |
| | 4.9.09 | 60 बोरी |
| | 4.9.08 | 60 बोरी |
| | **कुल योग** | **135 बोरी** |

माप पुस्तिका 48 के पृ0 18 से 35 तक की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त वर्णित/निष्पादित की गई कार्य मात्रा पर सविदाकारी द्वारा केवल 97 बोरीयां सीमेन्ट की खपत की गई थी जबकि स्टॉक से 135 बोरी जारी की गई। इस प्राकर खपत से अधिक सीमेन्ट बेग जारी किए गए व संविदाकार के द्वितीय बिल से 97 बोरी ₹180 की दर से ₹17840/–की वसूली कर ली गई। शेष 38 बोरी सीमेन्ट की Penal rate/duble rate से (1802+2=36) प्रति बैग की दर से ₹13680.00 की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते मे ंजमा करवाया जाए।

**33** कार्य का नामः– फोजा राम के मकान से शवगृह शैड तक रास्ते का निर्माण वार्ड नं0 2

संविदाकार को नामः– श्री निक्का राम

चलित बिलः– द्वितीय से अन्तिम बिल तक

योजना का नामः– नैशनल स्लम डिवलपमैन्ट प्रोजक्ट

अनुमानित राशिः– 208161.00

समय सीमाः– 3 माह

वा0सं0 20 माह 3/09 राशि 299354.00

उपरोक्त वर्णित कार्य श्री निक्का राम संविदाकार को पत्र संख्या 9 एम0सी0एन0डी0–2 (388)–2008–09–635 दिनांक 22.10.08 ₹337748/–पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक पर्कस विभाग की मानक दर सूचि 1999 के आधार पर आंबटित किया गया था। संविदाकार के प्रथम से अन्तिम बिल तक ₹315294/–का कार्य निष्पादन करवाया गया। विवरण निम्न से हैः–

| मद सं0 | मद का नाम | कार्य मात्रा | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रोवाईंडिग एण्ड लेईंग सी0सी0 1:6:12 फाउडेशन एण्ड पलीन्थ | 12.05एम3 | 1500 | 18677 |
| 2 | आर0आर0 मैशनरी विथ स्टोन सी0एम0 1:6 | 137.33एम 3 | 1700 | 233461 |
| 3 | प्रोवाईंडिग एण्ड लेईंग सी0सी0 1:2:4 पाथ व स्टैप | 20.49एम3 | 2825 | 57884 |
| 4 | प्रोविडंग एण्ड लईंग 1:3:6 स्टोन एगरीगेट | 2.33एम3 | 2262.29 | 5221 |

वर्णित कार्य की माप पुस्तिका 49 के पृष्ठांकन 26 से 29 व माप पुस्तिका 47 के पृ0–84 से 87 तक की रिकार्ड प्रविष्टियां एवं absreact Cost की पड़ताल पर पाया गया कि शेडयूल ऑफ क्वान्टी में मद संख्या 1 से 3 तक का कार्य ही सम्पन्न करवाया जाना था परन्तु मद संख्या जो कि प्रोवाइडिंग एवं लेईंग सी0सी0 1:2:4 आन पाथ एवं स्टैप पर डाली जनी आपेक्षित था परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रमाण दर्ज कर There is provision of CC 1:2:3 on path, but concrete laid does not seen to be lawa as no tonver kindly in view to serrle the matter as devidea to pay, one step low (inkvorconvede 1:3:6 व कुल कार्य मात्रा 2.33एम 3 को substitute item dh Analysis Rate इस प्रकार भुगतान किया दर्शाया है।

प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग

सीमेन्ट कंकीट 1:3:6

स्टोन ऐगरीगेट 40एमएम

नेमिनल साईज

Work in 2pmm-above to CC 1:6:12 1552-982/982-10x100-57.82

In 1:2:4 2825-170840/1708-40x10065.35

Average (i) & ii CC 1:3:6 1400+61-53/100x1400=1400-50+862-49

2262-99

कनिष्ठ अभिन्यता द्वारा अपने स्तर ही शैडयूल ऑफ कवांटी की मद सं0 3 को प्रतिस्थापित मद को तैयार एवं भुगतान किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निष्पादित किए गए कार्य की मात्रा को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त सीमेन्ट खपत विवरणिका तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में प्रयोग किए गये सीमेन्ट सामग्री को सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

**34** कार्य का नामः– मल्टीस्टोरी पार्किंग धरातल एवं प्रथम फ्लौर का निर्माण नजदीक बस अडडा श्री नयना देवी जी

संविदाकार का नामः– मैसर्ज कुदरा बिल्र्डज प्रा0लि0 बददी नालागढ़

अवार्ड पत्र सं0ः– 9 एम0सी0न0डी0–2(413)–2010–11–1660–63 दिनांक 28.9.2010

नेगोशियनः– 23.9.10 Rebate 35**%** on all items

अवार्डडि राशिः–14120674 आन एच0पी0एस0आर0–2009

समय सीमाः– 1 वर्ष

प्राकलन राशिः– 15112526

अर्नसट मनीः–183625

टैण्डर दिनांकः–7.9.10

प्रथम एवं द्वितीय चलित

वा0सं0 शून्य माह 1/12 राशि ₹3057291

(1) उपरोक्त वर्णित कार्य के प्रथम एवं द्वितीय चलित बिल को जांच पड़ताल पर अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹57124.00 का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किए गए भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

| प्रोवाईडिंग मिल्ड स्टील/टोर स्टील रिइनफोरशफट | माप पुस्तिका 56 के पृ0 7 पर इस प्रकार की गई | जितनी मात्रा की वसूली की गई | अन्तर |
|---|---|---|---|
| Position complete upto floor level | 16 एम0एम0 बाये वे<br>22x4.50=97.90<br>22x4.50=97.90<br>7x0.60=4.20<br>योग =200.00<br>@1.878-375.60 | 315.60 | 60 |
| | | वसूली दर | 270 |
| Position complete upto floor level | 26mm Torsteel 2l infocrce mm combind 100mg colum<br>CS-C10 39x5 65=220.35 | | |
| Overpay | C32-C41 | 1760.43 | 770.4 |
| | 39x5.65=220.35<br>27x0.6 416.20<br>459.90<br>@3.853 | | |
| | उठाई गई मात्रा | 990.00 | 770.43 |
| | | 770.43 | |
| | @45 | 34670.00 | |
| प्रोवाईंडिग एण्ड लेईग सीमेन्ट कंक्रीट 1:5:x3 स्टोन एगरीगेट 20एमए नोमिनल साईज | | X7-X8 footing 2x3.40=6.0m3<br>2/102(41+42+44m)/2x50/6(12+952)4x400/2x3.45/1072 | |

फाऊडेशन एण्ड पलीन्थ

| | | |
|---|---|---|
| | 770.43 | |
| | @45 | |
| | 15.50 | 4.80एम3 |
| | @35.80 | 17184.00 |
| उपरोक्त मात्रा से अधिक सीमेन्ट बोरी का उपयोग 25 बैग @20 | | 5000.00 |
| योग | | 57124.00 |

**(2)** इसके अतिरिक्त द्वितीय बिल तक निम्न मदों के कार्यमात्रा में शडयूल आफ कवान्टी में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा का कार्य सम्पन्न करवाने पर ₹479192/—का विचलन पाया गया अधिक मात्रा में कार्य मदों के निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक स्वीकृति आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

| **मद सं0** | | **शडयूल की मात्रा** | **निष्पादित कार्य नं0** | **अधिक** | **दर** | **राशि** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऐक्सवाकेशन इन फाउन्डेशन अर्थ वर्क फाऊंडेशन | 1730.16 GM | 2679.20 | 949.04 | 175.00 | 16608.00 |
| 22 | प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंकीट 1:6:12 40एमएम फाऊडेशन एण्ड पलीन्थ | 6.55 GM | 98.86 | 92.31 | 2010 | 185543 |
| 6 | प्रोवाईंडिग from work with steel plate 3x11 30x30x5 | 195.12 | 391.13 | 196 | 110 | 2156 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P/L Cement Concrete 1:1:5:3 stone aggre. 20mm | 602.92 | 765.89 | 162.57 | 200 | 3294 |
| 4 | Boulder fully dry hand Packra under | 309.02 | 350.66 | 41.64 | 3580 | 149071 |
| | | 8.79 | 114.94 | 106.21 | 695 | 73816 |
| | | | | | | **479192** |

**35** **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

**36** **सारांशः–** नगर परिषद लेखाओं में अत्यधि सुधार की आवश्यकता है। म्युनिसिपल फण्ड को कई बैंकों में संचालन किया गया है जिस के कारण लेखों के मिलान करना सुविधाजनक नहीं हे। परामर्श दिया जाता है कि अनावश्यक खाता को तुरन्त बन्द किया जाए व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान दें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0) V(40)/2011-4831-32 दिनांक, 02.08.2013 शिमला–171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

**पंजीकृतः–**1. सचिव, नगर परिषद नयना देवी जी, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

2. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002,

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट "क" अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा 3 में वर्णित

**1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–9 | निर्णीत | पार्किंग फीस को अधिरोपित डी0सी0 बिलासपुर बी0एल0एस0पी0 के पत्र संख्या –1–एफ–ए–16(1)–88–2004 –16/92 दिनांक 16.4.04 के द्वारा निर्धारित किया गया इससे पूर्व पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण पार्किंग फीस नहीं बनती थी |

**2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–13 (2)बी | निर्णीत | प्रस्तावना सं0 901 दिनांक 8.3.2000 को पारित करवा दिया गया पुष्टि की गई |
| 2 | पैरा–14 | निर्णीत | –यथोपरि– |

**3 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 (ए) | निर्णीत | पैरा पूर्व में समाप्त (अंकेक्षण प्रतिवेदन पृ0 3) |
| 2 | पैरा–7 | निर्णीत | राशि ₹627/– की वसूली आर0नं0 39 दिनांक 29.3.90 (अंकेक्षण प्रतिवेदन पृ0 3) को कर ली गई है |
| 3 | पैरा–9 | निर्णीत | राशि ₹4282/–की वसूली अपेक्षित हैं पैरों पूर्व में ही समाप्त किया जा चुका है। |

**4 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/93 कोई पैरों शेष नहीं है।**

**5 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/96**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–7 (च) | निर्णीत | 65 बोरी रजिस्टर का भण्डारण एवं खपत एसआरपी बिल सं0 शून्य इण्डेन सं0 17–18 दिनांक 18.6.95 की पुष्टि कर ली गई है जिस का उपयोग रिटेनिंग वॉल सीएसआर–पी–5 |
| 2 | पैरा–7 (ज) (4) | निर्णीत | राशि ₹1154.00 की वसूली जी–8 सं0 31 दिनांक 4.1.2013 में कर ली गई है। |

**6 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/04**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–8 | निर्णीत | जी–8 मेला फीस राशि ₹2150/–वीर सिंह चौहान क0 सहायक से अपेक्षित है। कार्यकारी अधिकारी की अधियाचना संख्या शून्य दिनांक 26.2.2013 जारी की गई व जिलाधीश द्वारा वर्ष 1989–25–2/89 तत्पश्चात पत्र सं0 वी0एस0ए0–16–186 दिनांक 6.10.2009 प्रस्तावित दरों के दृष्टिगत |
| 2 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–12 (8) | निर्णीत | निविदाएं देख ली गई है। |
| 4 | पैरा–12 (9) | अनिर्णीत | नेहरू योजना के अन्तर्गत राशि ₹19000/–की वसूली अपेक्षित है श्री वीर सिंह चौहान क0 सहायक) |
| 5 | पैरा–13 (2) | निर्णीत | 1**%** penalty under couse of the Agricement Recover `2512 vide Vr. No 29 Dt. 15.9.98 |
| 6 | पैरा–13 (6) | निर्णीत | डेवियेशन राशि स्वीकृत देख ली गई है राशि ₹14290+14629+30810 |
| 7 | पैरा–13 (10) (ख) | निर्णीत | देख ली गई है |
| 8 | पैरा–13 (11)(क) | निर्णीत | देख ली गई है |

**7 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/04 से 3/07**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 (1) | निर्णीत | जी–8 को जारी करने बारे सटिप्पण उत्तर की समीक्षा कर ली गई है |
| 2 | पैरा–4 (2) | निर्णीत | गृहकर की लम्बित पड़ी आय सटिप्पण उत्तर की समीक्षा जी–8 31/48 दिनांक 22.1.05 |
| 3 | पैरा–4 (3) | निर्णीत | गृहकर बकाया राशि ₹812715/–की वसूली कर ली गई। |
| 3 | पैरा–4 (4) (1) | निर्णीत | दुकानों सें किराया वसूली ₹1868200.00 कर ली गई है |
| 4 | पैरा–4 (4) (2) | निर्णीत | खाली पड़ी दुकानों का आंबटन न करने बारे समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त |
| 5 | पैरा–4 (4) (3) | निर्णीत | एच0आर0टी0सी0 दुकान 54 का बकाया किराया शत प्रतिशत व 10**%** बढ़ौतरी कर वसूला गया। |
| 6 | पैरा–4 (5) (1) | निर्णीत | रसीद सं0 229 व 230 को ऋण के तौर पर नगरपरिषद बिलासपुर को जारी करने बारे पुष्टि कर ली गई है (वर्तमान अंकेक्षण पर) |
| 7 | पैरा–4 (5) (2) | निर्णीत | जी–8 सं0 9–6 को बिलासपुर जारी बारे अभिलेख व रसीदों से पुष्टि की गई |
| 8 | पैरा–4 (6) | निर्णीत | तहबाजारी राशि ₹11750का गबन मामला नहीं बनता जी–8 20/9, 26/9 व राशि 3557+6733 लेखांकन अभिलेखों में सही जांच की गई मामला सही है। |
| 9 | पैरा–4 (7) | निर्णीत | राशि ₹25000/–का गबन मामला जी–8 9/07, 9/08 (Photostate attach in Rough sheet) |
| 10 | पैरा–4 (8) | निर्णीत | राशि ₹100/–की श्री डोगरा क0सं0 से वसूली जी–8 37/12 दिनांक 22.2.13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | पैरा–4 (9) | निर्णीत | राशि ₹100/–की कम वसली जी–8 3/12 दिनांक 22.2.13 |
| 12 | पैरा–4 (10) | निर्णीत | राशि ₹1000/–की कम वसूली अभिलेखों की पुष्टि पर सही पाई गई |
| 13 | पैरा–4 (11) | निर्णीत | राशि ₹240/–की कम वसूली Reconclation पर शुरू की गई पुष्टि की गई |
| 14 | पैरा–4 (12) | निर्णीत | राशि ₹100/–की कम वसूली पृ0 121 पर जमा प्रविष्टि (दिनांक 30.9.05) |
| 15 | पैरा–4 (13) | निर्णीत | प्रतिभूति राशि ₹150/–की कम वसूली नहीं बनती पुष्टि की गई |
| 16 | पैरा–4 (14) | निर्णीत | राशि ₹13067/–की कम जमा जी 37/10 4/07 वास्तव में एसबीआई खाता 1145 में पाई गई |
| 17 | पैरा–4 (15) | निर्णीत | राशि ₹1869/–की कम वसूली/वसली कर ली गई है। |
| 18 | पैरा–4 (16) | अनिर्णीत | राशि ₹25000/–कम जमा उत्तर सन्तोष्जनक नहीं पाया गया। |
| 19 | पैरा–4 (17) | निर्णीत | राशि ₹25000/–को कम जमा करवाने बारे छानबीन की गई सत्यापित ब्याज वसूली नहीं हुई |
| 20 | पैरा–4 (18) | निर्णीत | दुकान किराये की कम वसूली उपरान्त वसूली जी–8 39/12 दिनांक 27.2.13 को की गई। |
| 21 | पैरा–4 (19) | निर्णीत | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्टियॉ न करने बारे। |
| 22 | पैरा–4 (20) | निर्णीत | पार्किंग फीस राशि ₹50023/–का गवन मामला अभिलेखों में पुष्टि की गई |
| 23 | पैरा–4 (21) | निर्णीत | विश्राम गृह शून्य राशि ₹665/–की वसूली उत्तर सन्तोषजनक नहीं था |
| 24 | पैरा–4 (22) | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | पैरा–4 (23) | निर्णीत | बैंक पास बुक खातासं0 52681 में प्रविष्टियॉं न करवाने बारे पुष्टि की गई |
| 26 | पैरा–4 (24) | निर्णीत | रोकड़ वही में प्रविष्टियों का लेखांकन दर्ज न करने बारे पुष्टि कर ली गई है |
| 27 | पैरा–4 (25) | निर्णीत | राशियों को हस्तगत रखने बारे दण्डात्मक ब्याज वसूली जी–8 33/12 दिनांक 22.2.13 को की गई |
| 28 | पैरा–4 (26) | निर्णीत | चैक रद्द करने बारे सटिप्पण उत्तर उपरान्त पैरा समाप्त |
| 29 | पैरा–4 (27) | निर्णीत | बैंक कमीशन काटने बारे |
| 30 | पैरा–4 (28) | निर्णीत | रसीदों में कांट छांट करने बारे समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त |
| 31 | पैरा–4 (28 से 29) 1 से 3 तक | निर्णीत | रसीदों को रद्द करने बारे –यथोपरि– |
| 32 | पैरा–4 (30) | निर्णीत | डाकघर खाता संख्या 610798, की पास बुक उपलब्ध न करवाने बारे अभिलेख नहीं दर्शाए गए(पुष्टि हेतु प0 151 दर्शाए) |
| 33 | पैरा–4 (31) | निर्णीत | सावधि पर अर्जित ब्याज को किस खाते में डालने बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई। |
| 34 | पैरा–5 (1) | निर्णीत | रामपाल शर्मा कार्यकारी अधिकारी को विशेष भत्ता का गलत भुगतान राशि 9900.00₹ की वसूली |
| 35 | पैरा–5 (2) | निर्णीत | लीव ईन कैशमैन्ट राशि ₹3123.00 का अधिक भुगतान वा0सं0 शून्य दिनांक 1.2.13 को की गई |
| 36 | पैरा–5 (3) | निर्णीत | यात्रा भत्ता दावों की प्रविष्टियां T.A. Check Register में न करने बारे प्रक्रिया शुरू की गई |
| 37 | पैरा–6 (1) | निर्णीत | पानी के बिलों की प्रविष्टियां रजिस्टर में न करने बारे देख ली गई है। |
| 38 | पैरा–6 (2) | निर्णीत | लेखन सामग्री का स्टॉक रजिस्टर देख लिया |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | गया |
| 39 | पैरा–6 (3) | निर्णीत | 5 प्रतियां नगर पालिका अधिनियम 1994 पैरा समाप्त |
| 40 | पैरा–6 (4) | निर्णीत | बिजली बिल रजिस्टर का निर्माण कर लिया गया है। |
| 41 | पैरा–6 (5) | निर्णीत | स्ंयुक्त निदेशक द्वारा स्थल पर आपेक्षित कार्रवाई |
| 42 | पैरा–6 (6) | निर्णीत | की गई |
| 43 | पैरा–7 | निर्णीत | |
| 44 | पैरा–8 (1) | अनिर्णीत | |
| 45 | पैरा–8 (2) | निर्णीत | |
| 46 | पैरा–8 (3) | निर्णीत | |
| 47 | पैरा–9 (1) | निर्णीत | अतिरिक्त मदों का निष्पादन |
| 48 | पैरा–10 | अनिर्णीत | पैन्शन फण्ड रोकड़ वही के रख रखाव बारे। |

**(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/08**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 (1) | समाप्त | गृहकर बकाया राशि ₹919945.00 पैरा रिपोर्ट से हटाया जाना है पूर्ण प्रारूपित अवधि 4/08 से 3/12 |
| 2 | पैरा–4 (2) | समाप्त | अवैध रूप से निर्मित भवनों पर गृहकर राशि न वसूलने बारे (निदेशालय की प्रति संलग्न है |
| 3 | पैरा–4 (3) | निर्णीत | गृहकर राशि सीधे तौर पर खाता सं0 255 में जमा करवाने बारे सटिप्पण उत्तरों की समीक्षा कर ली गई |
| 4 | पैरा–4 (4) | अनिर्णीत | मन्दिर ट्रस्ट द्वारा निर्माणाधीन से गृहकर वसूली न करने बारे कोई कार्यवाही नहीं की |
| 5 | पैरा–4 (5) | अनिर्णीत | लाईसैन्स फीस की वसूली राशि ₹80490/–कोई कार्यवही नहीं |
| 6 | पैरा–4 (6) | अनिर्णीत | राशि ₹180438.00 किराये की हानि कोई |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | कार्यवही नहीं |
| 7 | पैरा–4 (7) | निर्णीत | वसूली सं0 14/59 दिनांक 10.3.10 को कर ली गई है |
| 8 | पैरा–4 (8) | निर्णीत | विश्राम गृह किराया ₹3300/–की कम वसूली |
| 9 | पैरा–4 (9) | निर्णीत | मन्दिर न्यास से राशि प्राप्त कर ली गई है |
| 10 | पैरा–6 (i, ii, iii) | निर्णीत | फोटोस्टेट पर राशि 5430.00 का व्यय फोटोस्टेट रजिस्टर से जांच की गई है |
| 11 | पैरा–7 | निर्णीत | निर्माण कार्य राशि ₹6402.00 क अधिक भुगतान |
| 12 | पैरा–10 | निर्णीत | संयुक्त निदेशक द्वारा स्थल पर आपेक्षित कार्रवाई की गई |